AtmaN_MP@23

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

रोडमैप 2023

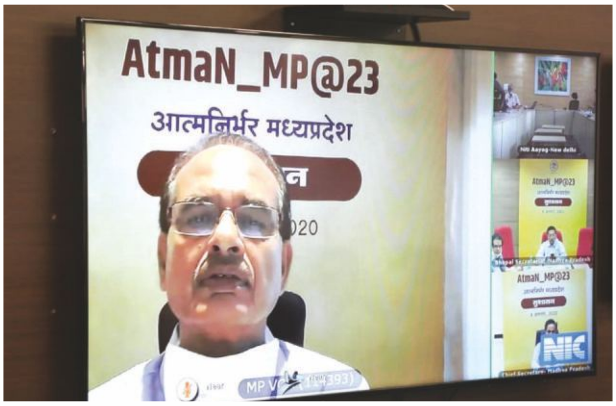
AtmaN_MP@23
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश
अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार
11 अगस्त, 2020

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश
अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार
11 अगस्त, 2020
Niti Aayog-New delhi
Chief Minister-Madhya Pradesh
Chief Secretary- Madhya Pradesh

AtmaN_MP@23

AtmaN_MP@23

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

रोडमैप 2023

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि– ''कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। यह हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या है? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है 'आत्मनिर्भर भारत'। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है 'एशः पंथः' यानी यही रास्ता है– 'आत्मनिर्भर भारत'। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम् मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिये एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है।''

आज सम्पूर्ण विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना संकट ने बड़े–बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस संघर्षकाल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाये रखने की चुनौती सभी देशों के सामने है, हमारा देश एवं प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। इस चुनौती को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देश के लिए 12 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का प्रारंभ किया। 'प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा' एवं 'प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा' इस सिद्धान्त पर अमल करते हुये हमने देश की मजबूती के लिये कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करने का संकल्प लिया है। इस संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिये नीति आयोग के सहयोग से हमने 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' का ताना–बाना तैयार किया है। AtmaN_MP@23, A-Aspiration, T-Transformation, M- Mission, A-Action, N-Niti की पुष्टि करता है।

पिछले कुछ माहों के संघर्षकाल में बहुत सी गतिविधियां और व्यवस्थाएं डगमगाईं, लेकिन घबराने की बजाय हमें दृढ़ता से इस संकट का सामना करते हुये सफलता की नई परिभाषा लिखना है, जो कि 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की होगी। अब यह बात हम सभी जान गये हैं कि कोरोना संकट की इस विकट घड़ी में लोकल ही खेवनहार सिद्ध हुआ है, स्थानीय उत्पाद एवं स्थानीय बाज़ार का महत्व सभी को समझ में आ गया है। स्थानीय उत्पाद एवं स्थानीय बाज़ार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना कठिन चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलना हमने

सीखा है और इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिये हम दीर्घ, लघुगामी एवं तात्कालिक तीनों ही प्रकार के कदम उठाएंगे। यह अब हमारी जिम्मेदारी है, कि हम लोकल को ग्लोबल बनाएं, वोकल बनाएं। कैसे बनाएंगे, इसके लिये 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' का रोडमैप तैयार किया गया है। इस रोडमैप हेतु चार मुख्य आधार स्तंभ– 1. भौतिक अधोसंरचना 2. सुशासन 3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा 4. अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार सुनिश्चित किये गये हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की आधारशिला रखने हेतु नीति आयोग का सहयोग प्राप्त कर, अनेक विषय–विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविद्ों के साथ मिलकर दिनांक 7, 8, 10 एवं 11 अगस्त, 2020 को वेबिनार के माध्यम से भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार विषयों पर विचार विमर्श/मंथन कर यह रोडमैप तैयार किया गया है। रोडमैप को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु सुस्पष्ट रीति, नीति एवं प्रभावी कार्य–पद्धति विकसित की जायेगी। इस समय हमारे देश की बागडोर एक दूर–दृष्टा सारथी के हाथों में है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में हम आगामी 3 वर्षों में मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे।

पूरी निष्ठा और कड़ी मेहनत से इस कार्य को गंतव्य तक पहुँचाने में लगी अपनी टीम के सभी सहभागियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के अथक परिश्रम एवं समर्पण से निश्चित समयावधि में हम 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने में अवश्य सफल होंगे।

शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)

अमिताभ कांत
Amitabh Kant
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Chief Executive Officer

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
नीति आयोग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
Government of India
NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA
NITI Aayog, Parliament Street,
New Delhi-110 001
Tel. : 23096576, 23096574 Fax : 23096575
E-mail : ceo-niti@gov.in, amitabh.kant@nic.in

16 सितम्बर, 2020

प्राक्कथन

नीति आयोग को मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आमंत्रण पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश विज़न (AtmaN_MP@23) तैयार करने की प्रक्रिया में भागीदार बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

साहसिक पहलों एवं नवाचारों के माध्यम से अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में स्वयं को स्थापित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश की मौजूदा शक्ति के आधार पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की बुनियाद रखी गई। राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश विज़न का दृष्टिकोण रहा। आत्मनिर्भरता के विचार की रणनीति तैयार करने का व्यापक दृष्टिकोण रहा। इस रणनीति के तहत आवश्यकता के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सहायता प्रदाता, समन्वयक तथा कार्यान्वयनकर्ता की भूमिका निभाएगा जिससे उच्च विकास दर और आकांक्षी मानव विकास लक्ष्य प्राप्त किए जा सके।

यह पहली बार वेब आधारित परामर्श प्रक्रिया थी जो निम्नलिखित मायनों में अनूठी थी, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया, समेकित रूप से योजना तैयार की गई और उच्च स्तर पर अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की प्रतिबद्धता रही। सभी स्तरों पर संपूर्ण प्रक्रिया छः सप्ताह से कम समय में पूरी हो सकी।

गहन विचार-विमर्श के लिए चयनित रोडमैप में शामिल विषय अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और रोजगार राज्य की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। राज्य के लिए अगले तीन वर्षों के रोडमैप के लिए परामर्श प्रक्रिया ऐसे समय में नई दिशा प्रदान कर रही है जब व्यापक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है तथा कुछ और समय तक बाधित रहने की संभावना है।

नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जिलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा रैंकिंग से यह अनुभव हुआ है कि प्रतिस्पर्धा से जिला स्तर पर गतिशीलता बढ़ी है। इसलिए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, नीति आयोग ने जिला और विभाग के स्तरों पर कार्य के परिणामों को तथा कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मॉनिटरिंग को आसान बनाने के लिए सीएम आत्मनिर्भर डैशबोर्ड तैयार करने में सहयोग करने का प्रस्ताव किया है।

नीति आयोग का राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श के अनुभव के आधार पर इस रोडमैप को तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा वैकल्पिक तरीके साझा किये गए। नीति आयोग का इस कार्य में शामिल होना एक बेहद सुखद अनुभव रहा। योजनाबद्ध वेबिनार ने विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग न की गई संभावनाओं का पता लगाने, संयुक्त रूप से अनुभव साझा करने तथा कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। इस प्रकार, यह सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने वाला एक सकारात्मक कार्य रहा।

मैं मध्यप्रदेश को AtmaN_MP@23 विज़न हासिल करने हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

अकान्त
(अमिताभ कांत)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	पृष्ठभूमि	01
1.	**भौतिक अधोसंरचना**	
1.1	सामान्य	07
1.2	विचार	08
1.3	तीन वर्षों का रोडमैप	09
2.	**सुशासन**	
2.1	सामान्य	21
2.2	विचार	22
2.3	तीन वर्षों का रोडमैप	23
3.	**स्वास्थ्य एवं शिक्षा**	
3.1	सामान्य	37
3.2	विचार	39
3.3	तीन वर्षों का रोडमैप	40
4.	**अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार**	
4.1	सामान्य	57
4.2	विचार	58
4.3	तीन वर्षों का रोडमैप	60
5.	**विषयवार आगामी 30 दिनों में प्रारंभ किये जाने वाले कार्यों का विवरण**	
	सामान्य	97
1.	भौतिक अधोसंरचना	98
2.	सुशासन	106
3.	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	108
4.	अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार	114

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का आह्वान तभी सफल होगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी के ''आत्मनिर्भर भारत'' की इस परिकल्पना से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आगामी तीन वर्षों का रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया।

भू–भाग की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का दूसरा एवं जनसंख्या की दृष्टि से पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की शक्ति के रूप में विशाल युवा आबादी तथा श्रम शक्ति की भागीदारी, समृद्ध संस्कृति, समृद्ध जल संसाधन एवं व्यापक परिवहन नेटवर्क उपलब्ध है। जहाँ एक ओर कोविड–19 से अनेक चुनौतियाँ आई हैं, वहीं नये सिरे से सोचने एवं बेहतर पुनर्निर्माण/पुनर्रचना का अवसर भी प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप प्रदेश अपनी संरचनाओं और प्रणालियों पर पुनर्विचार करके सेवा प्रदाय हेतु अधिक प्रभावी, समावेशी, सरल एवं सुलभ मॉडल विकसित करने हेतु संकल्पित है।

मध्यप्रदेश को हर सेक्टर में अग्रणी बनाने तथा जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को मूर्तरूप देने तथा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये मुख्यतः चार विषयों नामतः – भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार का चयन किया गया है। इसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के नीति आयोग का सहयोग प्राप्त कर अनेक विषय–विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों के साथ मिलकर दिनांक 7, 8, 10 एवं 11 अगस्त, 2020 को क्रमशः भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार विषयों पर वेबिनार के माध्यम से विचार/मंथन कर, 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के रोडमैप हेतु विषयवार अनुशंसाएं एवं सुझाव प्राप्त किये गये। जनसाधारण की आकांक्षाओं को दृष्टिगत् रखते हुये आमजनों से भी 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के रोडमैप हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किये गये।

यह दस्तावेज राज्य शासन के लिये 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने विषयक दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु एक पहल है। इस दस्तावेज में निर्धारित विकासात्मक मापदण्डों यथा भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार के क्षेत्र में प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त कर राज्य शासन, मध्यप्रदेश को वर्ष 2023 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिये संकल्पित है।

यह दस्तावेज मध्यप्रदेश राज्य को अपनी नवीन ऊर्जा के प्रभाव से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास है, जो केन्द्र सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। यह भी प्रयास किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुशंसाओं, परिणाम सूचकों (Outcome Indicators) एवं आउटपुट संकेतकों (Output Indicators) के क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

वेबिनार के आयोजन एवं समन्वय हेतु प्रत्येक विषय के लिये मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को टीम लीडर बनाया गया। वेबिनार में विचार–विमर्श एवं परिचर्चाओं को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक विषय को चार से छः उप–समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक उप–समूह में म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को कोर–टीम के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया। विषयवार गठित उप–समूहों का विवरण निम्नानुसार है:

स.क्र.	विषय का नाम	उप–समूह का नाम
1	**भौतिक अधोसंरचना**	सड़क अधोसंरचना
		यात्रा एवं पर्यटन
		नगरीय विकास एवं आवास
		जल
		ऊर्जा
		परिवहन एवं लॉजिस्टिक
2	**सुशासन**	लोक सेवाओं का प्रदाय/ई–गवर्नेंस/इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
		पारदर्शिता/जवाबदेही/सार्वजनिक भागीदारी/सरकारी खरीद
		विनियमों का अद्यतन एवं सरलीकरण– अधिनियम/नियम/दिशा–निर्देश
		शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन प्रबंधन
3	**स्वास्थ्य एवं शिक्षा**	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
		तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
		उच्च शिक्षा
		स्कूल शिक्षा
4	**अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार**	कृषि एवं संबंधित सेक्टर
		उद्योग एवं कौशल
		प्राकृतिक संसाधन
		व्यापार एवं वाणिज्य

विषयवार आयोजित वेबिनार में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मध्यप्रदेश शासन के मंत्रिगणों एवं भारत सरकार के नीति आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त अपने–अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रतिनिधियों, निजी सेक्टर के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों तथा राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं अपने विचार रखे। उपरोक्त वेबिनारों में लगभग 635 से अधिक प्रतिभागियों एवं 70 संस्थाओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त जनसाधारण से 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के रोडमैप हेतु लगभग 150 व्यवहारिक सुझाव भी प्राप्त हुये।

प्रत्येक आयोजित वेबिनार में उप–समूहवार विषय–विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों द्वारा सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा की गई। तदोपरांत वेबिनार में हुई चर्चा एवं विचार–विमर्श के आधार पर उप–समूहवार संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया जिसे उप–समूह के लीडर द्वारा विषय के टीम लीडर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप–समूहों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर विषयवार 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के रोडमैप की अनुशंसाओं का प्रस्तुतिकरण विषय के टीम लीडर द्वारा वेबिनार के समापन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया। समूहों द्वारा समेकित प्रतिवेदन एवं प्रस्तुतिकरण को नीति आयोग को प्रेषित किया जाकर, उन पर विशेषज्ञों की राय ली गई जिसे भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

विषयवार अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा मंत्री समूह का गठन किया गया। प्रत्येक सेक्टर के समूह लीडर द्वारा संबंधित मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं रोडमैप विकसित करने हेतु गहन विचार–विमर्श किया गया। तदोपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2020 को 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' हेतु चयनित चार विषयों हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। उक्त अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने की दृष्टि से अनुशंसाओं को संबंधित नोडल विभागों के साथ साझा किया गया तथा विभागों के मतानुसार ऐसी अनुशंसाएं जिन पर अगले 30 दिवस में कार्य प्रारंभ किया जा सकता है का प्रस्तुतिकरण मुख्य सचिव के समक्ष दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को किया गया।

इन वेबिनार श्रृंखलाओं के आयोजन में भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत एवं उनकी टीम ने वेबिनार के स्वरूप निर्धारण, विषयों के निर्धारण, विषय–विशेषज्ञों एवं सहभागियों के चयन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में मार्गदर्शन दिया। वेबिनार में श्री अमिताभ कांत द्वारा 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की परिकल्पना पर नीति आयोग को मध्यप्रदेश शासन के पार्टनर के रूप में कार्य करने हेतु आश्वस्त किया गया।

वेबिनार के आयोजन में तकनीकी सहयोग एन.आई.सी. भोपाल एवं मैप–आई.टी. (MAP-IT) द्वारा दिया गया। उक्त आयोजनों हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाएं लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा की गईं।

विषय - 1

भौतिक अधोसंरचना

विषय—1
भौतिक अधोसंरचना

1.1 सामान्य

मध्यप्रदेश की विशाल सीमाएं और सामाजिक—सांस्कृतिक विविधताएँ, विकास की अपार संभावनाएँ प्रदान करती हैं। भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में स्थानीय रूप से विकास नोड्स फैले हुए हैं, जिसके बल पर स्थानीय अर्थव्यवस्था और भौतिक अधोसंरचना को विकसित किया जा सकता है। प्रदेश में तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एवं दो ज्योतिर्लिंगों के होने से यहां पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण केंद्र के साथ—साथ फिल्म शूटिंग के लिये भी आकर्षण केंद्र बन गया है।

पिछले 15 सालों में प्रदेश में अधोसंरचना के विकास ने आर्थिक प्रगति में इंजन का काम किया है। यह भी आवश्यक है कि नीतिगत प्रसंगों में विकास और अधोसंरचना के बीच की कड़ियों को भी महत्व दिया जाना चाहिये। अधोसंरचना का विकास आय—वृद्धि से जुड़े सापेक्ष आर्थिक विश्लेषण के साथ—साथ इसे मानव—क्षमता और उसके सशक्तिकरण का हथियार और साधन मानना चाहिये।

मध्यप्रदेश विकसित प्रदेश बनने की दहलीज पर खड़ा है। स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुये कृषि क्षेत्र में भंडारण, प्रसंस्करण, स्टैंड—अप, स्टार्ट—अप, नकदी रहित लेन—देन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई—गवर्नेंस जैसी दूरदर्शितापूर्ण सुसंगत, प्रगतिशील पहल की जा रही है। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक एवं सेवाओं सम्बन्धी, सामाजिक एवं आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। नई रणनीति के केन्द्र में बुनियादी ढांचे के विकास से प्रदेश में निवेश वृद्धि, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा, निर्यात में वृद्धि, रोज़गार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य होना चाहिये।

अधोसंरचना में तेज गति से विकास "आत्मनिर्भर भारत" का एक अभिन्न अंग है। भौतिक अधोसंरचना का विकास न सिर्फ रोज़गार के नये अवसर सृजित करता है, बल्कि एक संतुलित क्षेत्रीय विकास भी प्रदान करता है। "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" की कार्ययोजना बनाने की पृष्ठभूमि में मध्यप्रदेश के विकास हेतु भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में प्राथमिकताओं, चुनौतियों एवं कार्ययोजना के साथ—साथ ठोस लक्ष्य का भी निर्धारण किया गया है।

"आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के तहत् भौतिक अधोसंरचना के समूह में विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगणों एवं विभागीय अधिकारियों के समूहों द्वारा समस्त सुझावों, विशेषज्ञों के विचारों आदि के प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार—विमर्श करते हुये, अधोसंरचना विकास के क्षेत्र हेतु एक ठोस तथा लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है।

1.2 विचार

मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध राज्य है। सभी क्षेत्रों के विकास के लिये इन संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। सभी क्षेत्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आपस में जुड़े हुये हैं। एक क्षेत्र के विकास का सीधा असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है इसलिए एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से जोड़कर देखना होगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना होगा और राज्य को आत्मनिर्भर बनना है तो राज्य के हर जिले को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसलिए यदि हम हर जिले की विकास दर में 3 से 4 प्रतिशत भी इज़ाफा कर दें, तो इससे राज्य की विकास दर में इज़ाफा होगा। जिलों को विकास दर बढ़ाने के लिये सामर्थ्य, प्रमुख क्षेत्रों, साधन तथा भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर, उन जिलों की विकास दर बढ़ाने हेतु एक कार्ययोजना बनानी होगी।

श्री सुरेश प्रभु
राज्य सभा सांसद

राज्य की शक्ति के रूप में विशाल युवा आबादी, समृद्ध संस्कृति, जल संसाधन एवं व्यापक परिवहन नेटवर्क है। विगत् कुछ दशकों में मध्यप्रदेश ने सभी क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, विशेषकर नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक अनुसार 17 बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश अब तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीतियों में सुधार के साथ ही देश में कृषि उत्पाद में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है।

श्री अमिताभ कांत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग

1.3 तीन वर्षों का रोडमैप

1. सड़क

क्र.	गतिविधियां	प्रस्तावित वित्त पोषण	समय–सीमा
1.	फ्लेगशिप परियोजनाओं का फास्ट ट्रेक विकास : चंबल प्रोग्रेस–वे इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि एवं खनिज आदि स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही करना– एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास	–	60 महीने
2.	सड़कों के विकास हेतु बेहतर योजना निर्माण तथा राजस्व को बढ़ाने हेतु 200 सड़कों का सांइटिफिक ट्रैफिक सर्वे किया जायेगा	–	12 महीने
3.	आगामी 6 माह में प्रदेश के सभी टोल प्लाजा का कम्प्यूटरीकरण एवं फास्ट टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन	भारत सरकार	6 महीने
4.	रु. 500 करोड़ ऑफ बजट के रूप में बाजार ऋण के रूप में लिये जायेंगे	–	–
5.	अनुबंधों को समय–सीमा में पूर्ण करने तथा परियोजना लागत में अधिक वृद्धि को नियंत्रित करने से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु एक उच्चस्तरीय समिति/बॉडी का गठन किया जायेगा	–	6 महीने
6.	सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा तकनीकी आधारित स्थिति का आंकलन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (Road Asset Management System – RAMS) स्थापित किया जायेगा	ए.डी.बी	24 महीने

2. यात्रा एवं पर्यटन

क्र.	गतिविधियां	समय–सीमा			
		दिसंबर 2020	जनवरी–मार्च 2021	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23
1.	''बफर में सफर'' मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना	निरंतर	निरंतर	निरंतर	-
2.	दो टाइगर सफारी विकसित करना (कान्हा/पेंच/बांधवगढ़ में)	-	-	1 राष्ट्रीय उद्यान	1 राष्ट्रीय उद्यान
3.	अमरकंटक, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ओंमकार सर्किट, नर्मदा परिक्रमा, रूरल सर्किट एवं ट्राइबल सर्किट जैसे थीम आधारित सर्किट को विकसित करना	-	30 माह में भारत सरकार की मंजूरी के बाद सर्किट पूरा किया जायेगा -		

4.	निजी क्षेत्रों/निवेशकों को शामिल करके पर्यटन स्थलों का वैल्यू एडिशन– अनुभव पर्यटन (Experiential Tourism) – जैसे रोपवे, संग्रहालय, डायमंड टूर, साड़ी बनाना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी पार्क, आदि के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जायेगा	–	–	02 गंतव्य	02 गंतव्य
5.	ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन, होमस्टे आदि को बढ़ावा	4 गांव	8 गांव	8 गांव	–
6.	पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले 20000 सेवा प्रदाताओं का कौशल संवर्धन	100 सेवा प्रदाता	400 सेवा प्रदाता	10000 सेवा प्रदाता	9500 सेवा प्रदाता

3. नगरीय विकास एवं आवास

कार्यवाही बिन्दु	दिसम्बर, 2020 तक	मार्च, 2021 तक	मार्च, 2022 तक	मार्च, 2023 तक	दिसम्बर, 2023 तक
रणनीति 1 : समावेशी शहरी विकास					
खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय आजीविका					
दीनदयाल रसोई योजना (100 केन्द्र) एवं रात्रिकालीन आश्रयों (135 आश्रयों) का विस्तार और सशक्तिकरण	पुराने 118 रात्रिकालीन आश्रयों का सशक्तिकरण	दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार और सशक्तिकरण (56 से 100 केन्द्र)	6 नवीन रात्रिकालीन आश्रयों की स्थापना	12 नवीन रात्रिकालीन आश्रयों की स्थापना	16 नवीन रात्रिकालीन आश्रयों की स्थापना
आजीविका					
दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं एनयूएलएम (DAY & NULM) का सभी शहरों तक विस्तार	–	120 शहरों से सभी 378 शहरों तक	–	–	–
1,50,000 गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ना	30,000 परिवार	50,000 परिवार	1,00,000 परिवार	1,50,000 परिवार	–

05 लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिये ऋण उपलब्ध कराना	2,00,000 आवेदन बैंकों में जमा करना एवं 1,00,000 आवेदनों को मंजूरी	3,00,000 आवेदन बैंकों में जमा करना एवं 1,50,000 आवेदनों को मंजूरी	4,00,000 आवेदन बैंकों में जमा करना एवं 3,00,000 आवेदनों को मंजूरी	5,00,000 आवेदन बैंकों में जमा करना एवं 5,00,000 आवेदनों को मंजूरी	–
कौशल विकास और स्वरोजगार					
07 शहरों में स्टार्ट–अप इन्क्यूबेशन केन्द्रों का विकास एवं 1 लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास	भोपाल एवं जबलपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना, 20,000 युवाओं का कौशल विकास	इंदौर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना, 30,000 युवाओं का कौशल विकास	सागर, सतना, उज्जैन एवं ग्वालियर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना, 65,000 युवाओं का कौशल विकास	1,00,000 युवाओं का कौशल विकास	–
शहरी गरीबों के लिए आवास					
378 शहरों में कम आयवर्ग के (EWS) 03 लाख आवासीय इकाईयों का प्रदाय	30,000 इकाईयों का प्रदाय	40,000 इकाईयों का प्रदाय	1,20,000 इकाईयों का प्रदाय	2,00,000 इकाईयों का प्रदाय	3,00,000 इकाईयों का प्रदाय
एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों और औद्योगिक शहरों में जन निजी भागीदारी से एएचआरसी (AHRCs) के अंतर्गत अतिरिक्त किराये की आवासीय योजना	कैबिनेट की मंजूरी	एएचआरसी (AHRCs) के लिए परियोजनाओं की पहचान/सूचीकरण	बिडिंग हेतु जन निजी भागीदारों का चयन और निर्माण कार्य की शुरुआत	परियोजना का निर्माण कार्य	हितग्राहियों को किफायती किराये पर आवास प्रदान करें
30,000 कम आय वर्ग (EWS) के हितग्राहियों के लिये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Credit Linked Subsidy)	5,000 EWS हितग्राहियों को सब्सिडी	7,500 EWS हितग्राहियों को सब्सिडी	15,000 हितग्राहियों को सब्सिडी	22,500 हितग्राहियों को सब्सिडी	30,000 हितग्राहियों को सब्सिडी

रणनीति 2 : पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना					
सीवरेज					
49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाना (01 लाख से अधिक जनसंख्या और नर्मदा किनारे के शहरों में) तथा दैनिक मॉनिटरिंग के लिये आईटी सिस्टम की स्थापना	2 शहर	7 शहर	21 शहर	33 शहर	49 शहर
सैनिटेशन					
सभी 378 शहरों के लिये ओडीएफ + (ODF+) का स्टेटस एवं इंदौर के लिये वॉटर+ (Water+) स्टेटस	200 ODF+ शहर	350 ODF + शहर	378 ODF+ शहर एवं इंदौर Water +	–	–

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
सभी शहरों में शत–प्रतिशत स्रोत पर पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण तथा 75 प्रतिशत तक ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण		300 शहर : 1. 100% स्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण 2. 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण	350 शहर : 1. 100% स्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण 2. 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण	378 शहर : 1. 100% स्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण 2. 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण	–
जिला मुख्यालयों पर वैज्ञानिक लैंडफिल की स्थापना एवं लीगेसी अपशिष्ट का 100 प्रतिशत उपचार	8 जिलों में	18 जिलों में	38 जिलों में	सभी 52 जिलों के 378 शहरों में	–
वायु गुणवत्ता सुधार					
10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 5% तक वायु गुणवत्ता सुधार	–	इंदौर	भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर	–	–

10 लाख से अधिक के शहरों में जन निजी भागीदारी से ई–व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं लोक परिवहन हेतु चरणबद्ध ई–बस का संचालन		ई–व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली एजेंसी के साथ समझौता	भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ई–व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना	ग्वालियर और उज्जैन में ई–व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना	सार्वजानिक परिवहन में ई–बस का संचालन

रणनीति 3 : नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार					
कानूनी सुधार					
नगरीय निकायों के दो अधिनियमों का एकीकरण एवं आदर्श उपविधि का विकास	मैरिज गार्डन हेतु उपविधि	ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु उपविधि	एकीकृत अधिनियम का मसौदा	एकीकृत अधिनियम की अधिसूचना	–
कार्य संचालन नियमों, संपत्ति निपटान नियमों, भूमि विकास नियमों में संशोधन	–	1. भूमि विकास नियमों में फायर और लिफ्ट में सुरक्षा एवं सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ना 2. शहर/ विकास प्राधिकरणों के लिये संपत्ति निपटान नियमों का संशोधन। 3. एमआईसी और पीआईसी की शक्ति, कार्यवाही एवं जिम्मेदारियों से सम्बंधित नियमों में संशोधन। 4. निकायों में संविदा नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन	–	–	–

राजकोषीय सुधार					
नगरीय निकायों के राजस्व में अपने स्रोतों से 43% से 60% तक की वृद्धि	–	45%	50%	55%	60%
संपत्ति कर को संपत्ति के बाजार मूल्य से जोड़ना एवं संपत्ति लेन–देन को रजिस्ट्री विभाग से जोड़ना	अधिनियम और नियमों की अधिसूचना में संबंधित संशोधन	–	–	–	–
सेवाओं की लागत वसूलने के लिये उपभोक्ता प्रभार का अधिरोपण	नियमों की अधिसूचना	–	–	–	–
नगरीय संस्थाओं और विकास प्राधिकरणों की व्ययन योग्य संपत्तियों (भूमि और भवनों) के लिये ऑनलाइन व्यवस्था का निर्माण	–	विकास प्राधिकरणों के लिये ऑनलाइन ई–प्लेटफॉर्म	नगरीय निकायों के लिये ऑनलाइन ई–प्लेटफॉर्म	–	–
जन निजी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न वीसीएफ (Value Capture Finance) टूल्स के नियम और विनियम	–	–	अधिनियम और नियमों की अधिसूचना	–	–
प्रशासनिक सुधार					
राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन	प्रथम चरण के निर्माण हेतु कार्य आदेश	–	–	निगुम (NIGUM) का संचालन	–

रणनीति 4 : शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार					
ई–गवर्नेंस (E-Governance)					
सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करना		10 लाख से अधिक आबादी वाले 4 शहर	16 नगर निगम	16 नगर निगम एवं 98 नगर पालिकाएं	सभी 378 शहर
269 शहरों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण को पूरा करना	130 शहर	152 शहर	232 शहर	269 शहर	–
भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ई–सेवाओं का एकीकरण	4 शहर	7 शहर	20 शहर	33 शहर	–
सभी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए ऑनलाइन भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और लेआउट अनुमोदन	4 शहर	7 शहर	20 शहर	33 शहर	–
जलापूर्ति					
100 पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना एवं 50 शहरों के लिये आईसीटी सक्षम स्काडा SCADA (Supervisory control and data acquisition) प्रणाली स्थापित करना	25 शहर	45 शहर	77 शहर	89 शहर	100 शहर
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (वर्षा जल नाला)					
10 लाख से अधिक जनसंख्या के सभी शहरों के लिये बाढ़ नियंत्रण एवं ज़ोनिंग (Zoning) के लिए जीआईएस आधारित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान	भोपाल	इंदौर	जबलपुर	ग्वालियर	–
सार्वजनिक परिवहन एवं नगरीय यातायात					

बस आधारित इंट्रा–सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 14 शहरों से 20 शहरों तक विस्तार एवं वाहनों की संख्या दोगुनी करना		1. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 500 नई इंट्रा–सिटी (intra-City) बसों का संचालन 2. शेष 6 शहरों में इंट्रा–सिटी (intra-City) बस संचालन	भोपाल और जबलपुर 900 इंट्रा–सिटी (intra-City) बसों का संचालन	–	–
इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं की शत–प्रतिशत निविदा कार्यवाही	–	–	सभी मुख्य ठेकों को जारी करना	–	प्राथमिकता वाले रूट पर मेट्रो का संचालन शुरू करना : भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक तथा इंदौर में गांधी नगर से मुमताज बाग तक
शहर में रौशनी व्यवस्था					
एस्को (ESCO) मॉडल के माध्यम से 100 शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	3 शहर	18 शहर	70 शहर	100 शहर	–
रणनीति 5 : नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार					

जीआईएस आधारित विकास योजनाएं					
सभी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिये जीआईएस आधारित विकास योजनाएं	4 शहर	7 शहर	20 शहर	33 शहर	–
टीओडी (Transit-Oriented Development) और टीडीआर (Transfer of Development Rights) का कार्यान्वयन					
सभी 5 शहरों में टीओडी योजनाएं और टीडीआर का कार्यान्वयन	–	2 शहर	4 शहर	5 शहर	–

4. जल

4.1 पेयजल

क्र.	गतिविधियां	समय–सीमा
1.	मार्च, 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप वाटर सप्लाई की उपलब्धता को राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बढ़ाना (वर्तमान औसत 17 प्रतिशत, राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत)	मार्च, 2021
2.	निवाड़ी एवं बुरहानपुर जिले को 100 प्रतिशत कवर करना	मार्च, 2021
3.	26 लाख घरों को वर्तमान वर्ष में कनेक्शन देना	दिसंबर, 2020
4.	वर्ष 2024 तक मध्यप्रदेश के 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना	वर्ष 2024
5.	नल, बिजली आदि की मरम्मत हेतु 50 हजार मैकेनिकों को 3 वर्षों में प्रशिक्षित करना	वित्तीय वर्ष 2022–23

3.2 सिंचाई

क्र-	गतिविधियां	समय–सीमा
1.	नर्मदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ ऑफ बजट ऋण से एन.बी.पी.सी.एल. द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना	3 वर्ष
2.	इस वर्ष 4 हजार करोड़ के ऋण की व्यवस्था	1 वर्ष
3.	सिंचाई एवं नर्मदा विकास विभाग द्वारा आगामी एक वर्ष में 30 हजार करोड़ के कार्यों का आवंटन करना	1 वर्ष

5. ऊर्जा

क्र.	गतिविधियां	समय–सीमा
1.	नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर टीबीसीबी रूट के माध्यम से 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास रु. 3,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा	वर्ष 2023
2.	मुरैना, छतरपुर, आगर, नीमच, शाजापुर जिलों में 4500 मेगावॉट के सोलर पार्कों का विकास रु. 18,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से किया जाएगा	वर्ष 2023
3.	टीबीसीबी रूट के माध्यम से 35 ई.एच.वी. सब–स्टेशन और संबंधित ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण, निजी निवेश के माध्यम से (शासकीय निवेश नहीं) अनुमानित निवेश रुपये 2000 करोड़	वर्ष 2023
4.	आगामी एक वर्ष में 4000 करोड़ रुपये लागत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना को पूर्ण करना	1 वर्ष
5.	45000 सोलर पम्पों को लगाया जायेगा	वर्ष 2023

6. परिवहन एवं लॉजिस्टिक

क्र.	गतिविधियां	समय–सीमा
1.	मध्यप्रदेश राज्य को राष्ट्र का भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब में विकसित करने हेतु मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना	मार्च 2024
2.	एंड–टू–एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक संचालन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण	मार्च 2023
3.	वर्तमान परिसंपत्तियों को उद्योग अनुकूल मुद्रीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन	मार्च 2022
4.	नाशवान सामग्री हेतु एयर कार्गो हब की नीति–निर्धारण एवं स्थापना	मार्च 2022
5.	उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन कर–निर्धारण नीतियां	मार्च 2023

मध्यप्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन

मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के आधिपत्य में महत्वपूर्ण शासकीय परिसंपत्तियां हैं। नवीन अधोसंरचना के विकास के फलस्वरूप ऐसी अनेक शासकीय परिसंपत्तियों, विशेषतः भूमि या तो अनुपयोगी हो गयी है अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। पूर्व में जो परिसंपत्तियां शहर के बाहर अवस्थित थीं, शहरों के विस्तारीकरण के कारण अब महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक स्थलों पर आ गयी हैं। उक्त परिसंपत्तियों के युक्तियुक्तकरण एवं मौद्रीकरण के संबंध में पृथक–पृथक नीति एवं दिशा–निर्देशों की अनुपलब्धता एवं संबंधित विभागों के पास अनुपयोगी परिसंपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग करने की दक्षता न होने के कारण शासन को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि हो रही है।

विषय - 2

सुशासन

विषय–2
सुशासन

2.1 सामान्य

सुशासन का उद्‌देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना एवं न्याय दिलाना तथा सेवाओं की कुशल डिलेवरी करना है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुशासन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाये गये हैं। इनमें मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिवस, सीएम हेल्पलाइन इत्यादि प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश, लोक सेवाओं की गांरटी अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना को सेवा प्रदाय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

यह युग टेक्नोलॉजी का युग है, फलस्वरूप आज हम गुड गवर्नेंस से आगे बढ़कर ई–गवर्नेंस तथा ई–गवर्नेंस से आगे बढ़कर एम–गवर्नेंस तक पहुंच गये हैं। अब मोबाइल पर ही सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। शासन द्वारा आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत् रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो सुविधा सात दिवस में मिलना है, अगर वह निर्धारित समय–सीमा में नहीं मिलती है तो उस स्थिति में वह सुविधा अपने आप (डीम्ड सर्विस) नागरिकों को मिल जायेगी, यह सुशासन की दृष्टि से बड़ा कदम है।

वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत् रखते हुये बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने हेतु नीति निर्धारण, क्रियान्वयन का आधुनिकीकरण, तकनीकी अधोसंरचना का उन्नयन और तकनीक को पहले से अधिक अभिनियोजित करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में ''सुशासन'' विषय पर दिनांक 08 अगस्त, 2020 को भारत के नीति आयोग का सहयोग प्राप्त कर अनेक विषय–विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविद्‌ों के साथ मिलकर वेबिनार के माध्यम से विचार–विमर्श एवं मंथन कर, 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' हेतु आगामी तीन वर्षों का रोडमैप तैयार करने हेतु सुझाव प्राप्त किये गये। चर्चाओं की सुगमता एवं विचार–विमर्श में प्रमाणिकता लाने की दृष्टि से सुशासन विषय पर आयोजित वेबिनार को चार उप–समूहों में विभाजित कर विषय–विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा की गई। उप–समूहों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सेवाओं का प्रदाय/ई–गवर्नेंस/इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
2. पारदर्शिता/जवाबदेही/सार्वजनिक भागीदारी/सरकारी खरीद
3. विनियमों का अद्यतन और सरलीकरण– अधिनियम/नियम/दिशा–निर्देश
4. शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन

सुशासन हेतु जिन विषयों पर उप–समूहवार चर्चा की गई उनमें लोकोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था, लोक सेवाओं का प्रभावी प्रदाय, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन, नियमों और कानूनों का सरलीकरण, मानव संसाधन का प्रभावी प्रबंधन, प्रभावी जन शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना, नीतियों के निर्माण

में जन सहभागिता, सरकारी कामकाज में आई.टी./नवीनतम् तकनीकों जैसे आई.ओ.टी., ड्रोन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, क्लाउड चेन इत्यादि का उपयोग, शासकीय क्रय–विक्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, नैतिकता और मूल्य आधारित प्रशासन, हर स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देना, सस्ता एवं सुलभ न्याय, ग्राम से राज्य स्तर तक मॉनीटरिंग इत्यादि प्रमुख थे।

2.2 विचार

सुशासन में आई.टी. का अधिक से अधिक उपयोग करना समय की मांग है तथा यह जिम्मेदारी हमारी है। जैसे उद्योगों के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस (Ease of Business) है वैसे ही आमजन के लिए ईज़ ऑफ लाईफ (Ease of Life) सुशासन का ध्येय होना चाहिये। आम आदमी का जीवन सरल हो, उसे किसी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, यही सुशासन है। मध्यप्रदेश शासन सिंगल सिटीजन डाटाबेस के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है तथा अब वह दिन दूर नहीं है जब विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने हेतु आवश्यक जानकारी एक स्थान पर मिल जायेगी। हितग्राहियों को प्रत्येक योजनाओं के लिये अलग–अलग पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के लिए लोक सेवा गांरटी अधिनियम सुशासन के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि है। सुशासन के क्षेत्र में मुख्य रूप से चार चुनौतियों का उल्लेख किया है ''उद्देश्यपूर्णता का अभाव'', ''विश्वसनीयता का अभाव'', ''स्वामित्व के भाव का अभाव'' एवं ''आपसी संबंधों के विकास का अभाव''। इन चुनौतियों को दूर किया जाये तो हम सुशासन ला सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमारा दृष्टिकोण समाधान केन्द्रित होना चाहिये तथा हमारी संवेदनशीलता बढ़नी चाहिये। इस दिशा में हम सोचेंगे तो समस्या का बेहतर समाधान ढूंढ़ सकेंगे। हमें स्वयं पहल (Self Initiative) करने तथा विभाजित सोच (Compartmental Thinking) से बचने एवं इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। यदि हम एकात्मिक भाव एवं संपूर्णता से सोचने की आदत डालेंगे तो काम अधिक प्रभावी रूप से कर पायेंगे।

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे
राज्य सभा सांसद एवं अध्यक्ष, आई.सी.सी.आर.

मध्यप्रदेश में जवाबदेही (Accountability) एवं अनुश्रवण (Monitoring) के लिए उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। नागरिकों के जीवन को सरल बनाने हेतु नवीन तकनीकों जैसे : मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, क्लाउड चेन इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम इन तकनीकों को समझें एवं आमजन के जीवन को सरल बनाने में इनका उपयोग कर सकें।

सुश्री ऐना रॉय
वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग

2.3 तीन वर्षों का रोडमैप

1. नागरिकों की सुविधाओं के लिये एकल डेटाबेस

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1	नागरिकों की सुविधाओं के लिये एकल कनेक्टेड डाटाबेस बनाना (नागरिकों को सेवा प्रदाय हेतु सभी डाटाबेस को जोड़ना)	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1	विभागों से समन्वय कर नागरिक सेवाओं सम्बन्धी जानकारी की सूची बनाना	03 माह	समस्त विभाग
2	विभिन्न विभागों द्वारा आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए मानक प्रारूप विकसित किया जाना और सभी विभागों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आंकड़ों का संग्रहण व प्रस्तुतिकरण किया जाना	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3	आंकड़ों को नियमित अद्यतन करने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विकास और इस हेतु नोडल अधिकारियों का चिन्हांकन।	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4	डाटाबेस की तकनीकी संरचना तैयार करना।	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
5	डाटाबेस उपयोग हेतु तैयार।	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6	डाटाबेस को और बेहतर बनाने के लिये उसकी समीक्षा और उस पर फीडबैक लेना और डाटाबेस के लाईव हो जाने के बाद आंकड़ों की गुणवत्ता व सुरक्षा संबंधी ऑडिट करना।	निरंतर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

2. सेवा प्रदाय के लिये एकल पोर्टल

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	एकल पोर्टल के माध्यम से सेवा वितरण प्रणाली विकसित करना	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागों से समन्वय कर नागरिक सम्बन्धी सेवा प्रदाय की जानकारी की सूची बनाना	03 माह	समस्त विभाग
2.	विभिन्न एप्लीकेशंस पर माईग्रेट करने हेतु आदेश जारी करना	03 माह	समस्त विभाग
3.	सेवा वितरण पोर्टल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार करना	03 माह	संबंधित विभाग
4.	सेवा वितरण पोर्टल को तैयार करना	04 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संबंधित विभाग
5..	पोर्टल प्रारंभ	06 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6	पोर्टल ऑन बोर्ड और विभागीय लीगेसी प्रक्रियाओं के लिये विभागों का क्षमता निर्माण	निरंतर	संबंधित विभाग
7	स्थापित प्रणाली के सुधार/फाइन ट्यूनिंग के लिये परीक्षण व समीक्षा	पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि से 06 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

3. सार्वजनिक सेवा के लिये एम–गवर्नेंस का उपयोग

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	आईसीबी (Intelligent Chat Bot) के माध्यम से सेवा प्रदाय हेतु निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करना	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1	विभागों से समन्वय कर ऐसे पोर्टल जहां चैट बॉट विकसित किये जा सकते हैं, उनकी सूची तैयार करना	03 माह	समस्त विभाग
2.	विभिन्न एप्लीकेशंस को चैट बॉट सेवाओं से जोड़ने हेतु आदेश जारी करना	03 माह	समस्त विभाग
3.	चैट बॉट (Chat Bot) हेतु स्पेसिफिकेशन तैयार करना।	03 माह	संबंधित विभाग
4.	चैट बॉट सेवाओं हेतु विभाग के सिस्टम इंटीग्रेटर एवं बॉट टीम द्वारा ए.पी.आई. तैयार करना	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संबंधित विभाग
5.	प्रदाय की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता/प्रभावकारिता में सुधार (सतत् प्रक्रिया) के लिये फीडबैक हेतु उपयोगकर्ता परीक्षण	निरंतर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

4. सीएम हेल्पलाइन से CM Citizen Care @ MP

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाना	सितम्बर 2021	लोक सेवा प्रबंधन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली अन्य नवीन सेवाओं की पहचान करना	03 माह	लोक सेवा प्रबंधन विभाग
2.	सेवाओं का टेक्निकल स्ट्रक्चर तैयार करना	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3.	सेवाओं को अधिसूचित कर लोक सेवा के पोर्टल में जोड़ना।	03 माह	लोक सेवा प्रबंधन विभाग
4.	सीएम सिटीजन केयर @ एमपी के विस्तार हेतु तकनीकी का उपयोग करते हुए विविध तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनमें बहुभाषी आईव्हीआरएस, वाट्सएप इत्यादि शामिल हैं	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
5.	सेवाओं को लाइव कर प्रदाय करना	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

5. सेवा प्रदाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन	सितम्बर 2022	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाना एवं उन्हें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन में उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत करना	09 माह	समस्त विभाग
2.	ऑनलाइन उपलब्ध दस्तावेजों के संग्रहण हेतु आदेश जारी करना	03 माह	समस्त विभाग
3.	सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बदलाव करना	सितम्बर 2022	समस्त विभाग

6. सेवाओं के भुगतान के लिए विभिन्न–भुगतान प्रणालियों का विकल्प

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	सेवा शुल्क के भुगतान के लिये विभिन्न विकल्पों का प्रावधान करना	सितम्बर 2021	वित्त विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागों द्वारा ऐसी सेवाएं जिनमें शुल्क लिया जाता है एवं शुल्क लेने के माध्यम/मोड की सूची तैयार करना	03 माह	समस्त विभाग
2.	ऑनलाइन कलेक्शन मोड को एप्लीकेशन में एकीकृत करना	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3.	ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिये हेल्पडेस्क की स्थापना	सितम्बर 2021	वित्त विभाग

7. राज्य में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और आई.टी. कौशल का विकास

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	ग्रामीण तथा दूरस्थ अंचलों तक आई.टी. कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को पहुंचाना	निरंतर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	अंचलों, ग्रामों की सूची तैयार करना जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है	02 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
2.	उपयुक्त माध्यमों से आई.टी. कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना	निरंतर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3.	डाटा हस्तांतरण की गति के आंकलन के लिये डाटा स्पीड ऑडिट, विशेषकर उन दूरस्थ इलाकों में जहां सेवा प्रदान की जाती है	निरंतर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

8. शासकीय कर्मियों को आई.टी. के उपयोग हेतु दक्ष बनाना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	शासकीय कर्मचारियों को आई.टी. के उपयोग में दक्ष बनाना	निरंतर	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	आई.टी. कौशल उन्नयन हेतु कर्मचारियों की सूची बनाना	01 माह	समस्त विभाग
2.	उपयुक्त माध्यमों से आई.टी. दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान करवाना	निरंतर	सामान्य प्रशासन विभाग

9. शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी/तथ्यों के साथ अपडेट रखना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी एवं तथ्यों के साथ अपडेट रखना	निरंतर	लोक सेवा प्रबंधन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	नवीन तकनीक, तथ्यों तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस की सूची बनाना, जो प्रदेश में लागू की जा सकती हों	03 माह	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
2.	उपयुक्त माध्यमों से प्रशिक्षण प्रदान करवाना	निरंतर	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
3.	प्रदान किये गये प्रशिक्षण की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता की जांच के लिये संकेतकों का विकास करना और उन पर नजर रखना	03 माह	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

10. वल्लभ भवन में ई–ऑफिस/केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था का क्रियान्वयन

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	वल्लभ भवन में ई–ऑफिस/ केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था का क्रियान्वयन	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागों की सूची जिनमें ई–ऑफिस नहीं है एवं कार्य की अनुमानित मात्रा का अनुमान	03 माह	एन.आई.सी., समस्त विभाग
2.	ई–ऑफिस एवं केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था का क्रियान्वयन करना	सितम्बर 2021	एन.आई.सी.

11. समस्त विभागों और जिला कलेक्टरों के प्रभावी उपयोग के लिये डैशबोर्ड विकसित किया जाना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागीय योजनाओं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड विकसित करना	सितम्बर 2021	लोक सेवा प्रबंधन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभागों की योजनाओं के इंडिकेटर तैयार करना	06 माह	समस्त विभाग
2.	सूचकांकों के आधार पर पोर्टल सूचकांक डैशबोर्ड तैयार करना	06 माह	एन.आई.सी.
3.	डैशबोर्ड लाइव कर परिचालन करना	सितम्बर 2021	लोक सेवा प्रबंधन विभाग

12. शिक्षा/टेली–मेडिसिन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	शिक्षा/टेली–मेडिसिन (सुदूर परामर्श) सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना	फरवरी 2021	शिक्षा से संबंधित समस्त विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	बेहतर शिक्षा हेतु एलएमएस (LMS) की पहचान और उपयुक्तता	02 माह	स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग
2.	टेली–मेडिसिन हेतु बेहतर आईटी अधोसंरचना	06 माह	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

13. शासन में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	नवीन प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन/मशीन लर्निंग, ब्लाक चेन/क्लाउड चेन इत्यादि के यूज़ केसेस विकसित करना	सितम्बर 2022	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आंकलन	02 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संबंधित विभाग
2.	यूज़ केसेस का अनुमोदन	03 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संबंधित विभाग
3.	सरकारी अनुबंधों में प्रौद्योगिकी का उपयोग	06 माह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

14. शासन में बेहतर पारदर्शिता (डिजिटलीकरण, नॉलेज मैनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची)

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	सुशासन हेतु बेहतर पारदर्शिता	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	डाटा में परिशुद्धता एवं पारदर्शिता हेतु शासकीय रिकार्डों का डिजिटलीकरण	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
2.	बेस्ट प्रेक्टिसेस, केस स्टडीज, नवाचार हेतु ज्ञान प्रबंधन पोर्टल तैयार करना	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, समस्त विभाग
3.	आई.पी. और डाटा की अनिवार्य मान्यता और मूल्यांकन (आई.पी. का संयुक्त स्वामित्व)	सितम्बर 2022	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4.	हितग्राहियों के डाटाबेस को सार्वजनिक करना	सितम्बर 2022	समस्त विभाग

15. जवाबदेह एवं जिम्मेदार प्रशासन के.पी.आई. (Key Performance Indicators), ऑनलाइन मॉनीटरिंग, थर्ड पार्टी मूल्यांकन

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाना	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	इनपुट एवं आउटपुट संकेतकों की पहचान तथा इम्पैक्ट डैशबोर्ड तैयार करना	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, समस्त विभाग
2.	सभी प्रगति प्रतिवेदनों के रख–रखाव हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना	सितम्बर 2021	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, समस्त विभाग
3.	प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना तथा प्रगति मापने के लिए अनुश्रवण टूल तैयार करना	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त विभाग
4	लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का स्वतंत्र पक्ष से मूल्यांकन एवं अध्ययन	सितम्बर 2022	समस्त विभाग

16. जन भागीदारी को बढ़ावा (एन.जी.ओ., सोशल ऑडिट)

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	जन भागीदारी को बढ़ावा देना	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	विशेषज्ञता वाले नियामक निकाय एवं गैर राज्य संस्थाओं को मजबूत करना	सितम्बर 2022	सामान्य प्रशासन विभाग, सुशासन संस्थान, समस्त विभाग
2.	नियमित अंतराल में सामाजिक अंकेक्षण	निरंतर	सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय एवं आवास विभाग, समस्त विभाग
3.	योजनाओं के अनुश्रवण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना	निरंतर	सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त विभाग

17. आम नागरिकों की समझ एवं उपयोग हेतु नियमों एवं कानूनों का सरलीकरण

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	अधिनियमों / नियमों / नीतियों का सरलीकरण	सितम्बर 2022	विधि विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व

1.	अधिनियमों / नियमों / दिशा–निर्देशों के अद्यतन और सरलीकरण हेतु एक समर्पित संस्था का निर्धारण	दिसम्बर 2020	विधि विभाग, विधि आयोग, समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
2.	निर्धारित अंतराल उपरांत कानूनों की अनिवार्य समीक्षा तथा सिफारिशों पर समयबद्ध निर्णय	निरंतर	विधि विभाग, समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
3.	अद्यतन अधिनियम / नियमों की एक वेबसाइट पर उपलब्धता सुनिश्चित करना	निरंतर	विधि विभाग, समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
4	ऐसे कानून जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, को निरस्त करना	सितम्बर 2022	विधि विभाग, समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
5	उद्योग निकायों, सिविल सोसाइटी एवं प्रसिद्ध संस्थानों जैसे आई.आई.टी., राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के सहयोग से मौजूदा अधिनियमों / नियमों में संशोधन हेतु अध्ययन कराना	सितम्बर 2021	विधि विभाग, समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
6	विभिन्न विभागों हेतु कानूनों को विषयवार तैयार करना	निरंतर	समस्त विभाग, सुशासन संस्थान

18. नागरिकों के लिये ईज़ ऑफ लिविंग Ease of Living (अपनी पात्रता जानें Know your entitlement, लैंण्ड टाइटल, लाईसेंस / परमिट, फेसलेस संपर्क)

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	नागरिकों के जीवनयापन में आसानी हेतु सेवाओं के प्रदाय को सुगम बनाना	सितम्बर 2023	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	नागरिकों को अपनी पात्रता जानने (Know your entitlement) हेतु एक केन्द्रीकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराना	सितम्बर 2021	समस्त विभाग, सुशासन संस्थान
2	विभागों में शक्तियों का प्रत्यायोजन	मार्च 2021	समस्त विभाग
3	शस्त्र, वाहन, दुकानें, सूक्ष्म उद्यम, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्यमों में लाईसेंस और परमिट से संबंधित कानूनों में सुधार करना	सितम्बर 2022	समस्त विभाग
4	सरकारी लेन–देन को कानूनों में संशोधन कर फेस–लेस और संपर्क रहित श्रेणी में लाना	निरंतर	समस्त विभाग

5	निर्णायक लैंण्ड टाइटलिंग को भूमि सुधार कानून में संशोधन कर लागू करना	सितम्बर 2023	राजस्व विभाग, समस्त विभाग
6	पासपोर्ट जैसी नागरिक सेवाओं में निजी क्षेत्र/प्रौद्योगिकी/आउटसोर्स के उपयोग को बढ़ावा देना	सितम्बर 2022	समस्त विभाग

19. व्यापक कैडर समीक्षा

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	भविष्य की आवश्यकता अनुरूप शासकीय विभागों की संरचना तैयार करना	दिसम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	प्रारूप विकसित करना	02 माह	सामान्य प्रशासन विभाग
2.	आवश्यकताओं का आंकलन	04 माह	समस्त विभाग
3.	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति	दिसम्बर 2021	समस्त विभाग

20. सभी कर्मियों की एच.आर.एम.आई.एस. (Human Resource Management Information System) में मैपिंग

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	स्थापना संबंधी विषयों का युक्तियुक्तकरण करना तथा पारदर्शी बनाना	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	मानव संसाधन अध्ययन	03 माह	समस्त विभाग
2.	नियमों का संरेखण (Allignment)	02 माह	समस्त विभाग
3.	आई.टी. प्लेटफार्म विकसित करना	06 माह	समस्त विभाग
4.	प्रारंभ करना	सितम्बर 2021	समस्त विभाग

21. आवश्यकता एवं सक्षमता का आंकलन

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	कर्मचारियों का बेहतर उपयोग	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	आवश्यकताओं का आंकलन	03 माह	समस्त विभाग

2.	क्षमताओं का आंकलन	03 माह	समस्त विभाग
3.	आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के मिलान हेतु आई.टी. सिस्टम का निर्माण	06 माह	समस्त विभाग

22. पदोन्नति हेतु कौशल क्षमता को प्राथमिकता

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	दक्ष अमला	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	नीति निर्माण	06 माह	समस्त विभाग
2.	नीति क्रियान्वयन	सितम्बर 2021	समस्त विभाग

23. आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	कार्य के प्रति प्रेरणा एवं समर्पण	दिसम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	लिटिगेशन के मुद्दों की पहचान	04 माह	समस्त विभाग
2.	नियमों एवं नीतियों में प्रासंगिक सुधार	दिसम्बर 2021	समस्त विभाग

24. सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान

स.क्र.	आउटकम	समय–सीमा	दायित्व
1.	सेवानिवृत्ति संबंधित समस्याओं एवं कोर्ट प्रकरणों को कम करना	सितम्बर 2021	सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आउटपुट	समय–सीमा	दायित्व
1.	आगामी 03 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की पहचान करना	06 माह	समस्त विभाग
2.	सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्वों के भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेज तैयार करना	03 माह	सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, समस्त विभाग

विषय - 3

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

विषय–3
स्वास्थ्य एवं शिक्षा

3.1 सामान्य

स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए आमजन के स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले शासकीय व्यय को सामाजिक निवेश की श्रेणी में रखा जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार 'उपचार आधारित' (क्यूरेटिव केयर) न होकर रोगों की रोकथाम आधारित (प्रिवेंटिव केयर) सोच पर आधारित होना चाहिये। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र को भी बदला है। ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (MOOC) को शिक्षण के लिये पर्यायवाची बनाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख है।

'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए आयोजित वेबिनारों की श्रृंखला में दिनांक 10 अगस्त, 2020 को स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर मंथन हुआ ताकि आगामी 03 वर्षों में किये जाने वाले कार्यों हेतु एक रोडमैप तैयार किया जा सके। इस हेतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा समूह को चार उप–समूहों में विभाजित किया गया था–

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
2. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
3. उच्च शिक्षा
4. स्कूल शिक्षा

इसमें केन्द्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न मंत्रीगण, नीति आयोग के विषय–विशेषज्ञ, राज्य के विकास के लिये सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे– विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि, विश्व बैंक की प्रतिनिधि, एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक के प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्, मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारीगण, पत्रकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के विद्यार्थियों ने सहभागिता कर अपने विचार एवं सुझाव रखे।

रोडमैप के प्रारूप में दी गई अनुशंसाओं एवं सुझावों को और अधिक परिमार्जित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के माननीय मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया जिनके समक्ष दिनांक 21 अगस्त, 2020 को समूह के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया गया, इस प्रस्तुतिकरण के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं को समाहित कर रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

वेबिनार में विषय–विशेषज्ञों ने आयुष्मान भारत के सुदृढ़ीकरण के लिये चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति हेतु नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तथा चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों

में आधुनिक नैदानिक तकनीकों एवं उपकरणों की व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का विकास तथा मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, लाभार्थी केंद्रित रणनीति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग पर भी बल दिया।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के स्वप्न को साकार करने के लिये ऐसे वातावरण को निर्मित करने की आवश्यकता है, जहाँ प्रदेश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो तथा रोज़गार में आत्मनिर्भर हो। इस हेतु एक सुव्यवस्थित रूप से स्थापित व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जो उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो।

व्यावसायिक शिक्षा में दुनिया के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिये संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रिऐलिटी (Virtual Reality) और बिग डाटा जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से अप्रत्याशित चुनौतियों (जैसे COVID-19) से निपटने के लिये मिश्रित अधिगम प्रादर्श (Blended Learning Model) का उपयोग करने और आधुनिक तकनीक के साथ तेजी से कदमताल करने वाले शिक्षाविदों को तैयार करने की आवश्यकता है।

विचार–विमर्श में कुछ समयबद्ध परिणाम और आउटपुट संकेतक निर्धारित किये गये। जिनमें उत्कृष्टता केंद्र बनाने, शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण नीति, ज्ञान साझेदारी और मेंटरशिप, रिसर्च लैब, चतुर्थ उद्योग क्रांति (Industry 4.0) प्रक्रिया को शामिल करना, बुनियादी ढांचे मजबूत करना तथा कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालयों का निर्माण, व्यावसायिक प्लेसमेंट और कॅरियर सेल निर्मित करना आदि सम्मिलित हैं।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये वेबिनार में शामिल विशेषज्ञों द्वारा 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' पहल के तहत् कई उल्लेखनीय सुझाव प्रस्तावित किये गये, जिसमें बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा उच्च शिक्षा केन्द्रों की पहुंच को बढ़ाना, नये दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, गुणवत्ता उन्नयन, उद्यमिता विकास तथा म.प्र. नॉलेज कार्पोरेशन की स्थापना करना है।

स्कूल शिक्षा

वेबिनार के दौरान स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये विषय विशेषज्ञों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मूलभूत दक्षताओं हेतु मिशन अंकुर, स्टीम STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)- आधारित शिक्षा, गिफ्टेड चिल्ड्रन्स हेतु 'प्रखर' योजना, आई.टी. (IT) आधारित स्कूल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा क्रिटिकल थिंकिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, कोडिंग) जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करना है।

3.2 विचार

शिक्षा और स्वास्थ्य समाज के लिये अति महत्वपूर्ण विषय हैं। नई शिक्षा नीति जीवन–मूल्यों की आधारशिला पर स्थापित होकर नवाचार के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने में सहायक होगी एवं परिवर्तनकारी परिणामों के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी। ''आत्मनिर्भर भारत'' की श्रृंखला में देश को विश्व परिदृश्य पर सक्षम बनाने की दिशा में यह शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा को ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, गुणवत्तापरक, उत्कृष्टता एवं सार्वभौमिक शिक्षा पर आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

एस.एन.सी.यू. (Special New Born Care Unit), रेफरल सेवाएं (Referral Services) एवं रोगी कल्याण समिति ऐसे कुछ नये आयाम हैं जो मध्यप्रदेश ने देश को दिये हैं, जिनका अन्य राज्यों की सरकारों तथा नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा पैरामीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। हैल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्र (Health and Wellness Centers) को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाना चाहिये। चिकित्सा विशेषज्ञों को हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर से जोड़ कर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन
केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

शिक्षा जीने की कला सिखाती है एवं मनुष्य को मनुष्य बनाती है। "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों क्षेत्रों में कार्य करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा के मूल उद्देश्य– संचित ज्ञान को अगली पीढ़ी को देना, कौशल प्रदान करना ताकि सभी हाथों में इतना कौशल हो कि व्यक्ति जहाँ भी जाये उसे बेरोज़गार न रहना पड़े, उत्तम नागरिक के संस्कार देना, भावी जीवन की तैयारी कैसे की जाये, सिखाना। ''पहला सुख निरोगी काया'' के सिद्धान्त पर बच्चों को स्कूल में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जायेगी एवं स्वस्थ रहने की कला सिखाई जायेगी।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि मानव के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आरोग्य से जुड़ा विषय है। सेवा प्रदाय प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये।

श्री राकेश सरवाल,
अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं पोषण), नीति आयोग

3.3 तीन वर्षों का रोडमैप

1 : यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करना – दिसम्बर 2024 तक

क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा	दायित्व
1.1	आयुष्मान भारत योजना का समस्त ज़िलों में विस्तार एवं नामांकन में 25% की वृद्धि	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
1.2	राज्य के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये वर्तमान आवंटन 4.8% से 8% तक वृद्धि	दिसम्बर 2024	वित्त विभाग
1.3	10,000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (SHCs) एवं और 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय करने के लिये हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स (एच.डब्ल्यू.सी.) में विकसित करना (Point of care डॉयग्नोस्टिक सहित)	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
1.4	1200 PHCs (HWC) में 282 आवश्यक दवाओं और 63 क्लीनिकल परीक्षणों और 10,000 SHCs (HWC) में 149 आवश्यक दवाएं और 14 क्लीनिकल परीक्षणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
1.5	362 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों (HWC) की स्थापना	दिसम्बर 2024	आयुष विभाग
1.6	HWCs और अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये, मध्यप्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा निगम मर्यादित (MPPHSCL) द्वारा राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित सभी दवाओं और सामग्रियों की दर अनुबंध सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल.
2 : दिसम्बर 2024 तक मातृ मृत्यु दर (प्रति 1 लाख जीवित जन्म) को 173 से 100 तक लाना, शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म), 48 से 35 तक, एनएमआर 35 से 25 तथा टीएफआर को 2.1 करना			
2.1	राज्य में 1,600 अत्याधुनिक प्रसव केन्द्रों की स्थापना और प्रत्येक सी.एच.सी. पर विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (SNCU) की स्थापना	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.2	राज्य में आरसीएच Reproductive and Child Health (RCH) पोर्टल के माध्यम से प्रतिवर्ष पंजीकृत 12 लाख गर्भवती महिलाओं को पूर्ण ए.एन.सी. Antenatal Care (ANC) सेवाओं का शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2.3	RCH पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के परिवारों की पात्र 7.2 लाख गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के तहत 2 अलग–अलग किश्तों में रुपये 16,000/– सशर्त नगदी हस्तांतरण का लाभ सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2.4	राज्य के पाँच वर्ष से कम उम्र के 55 लाख बच्चों का प्रतिवर्ष पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग
2.5	परिवार कल्याण को मातृ–स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एक घटक के रूप में एकीकृत करना (प्रक्रिया आधारित आउटपुट सूचकांक)	मार्च 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग
2.6	परिवार आधारित दृष्टिकोण (Family based approach) के साथ कुपोषण के कारणों को दूर करने के लिये बहु–क्षेत्रीय अभिसरण (Multi sectoral convergence) का क्रियान्वयन (प्रक्रिया आधारित आउटपुट सूचकांक)	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग
2.7	टी.बी. उन्मूलन की दिशा में काम करना	दिसम्बर 2024	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3 : स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन : दिसम्बर 2024			
3.1	राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में 311 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र और 308 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सिविल अस्पताल (कर्मचारियों के लिए आवास सहित) में उन्नयन करना	दिसम्बर 2024	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.2	भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना	दिसम्बर 2023	आयुष विभाग

3.3	सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	दिसम्बर 2023	चिकित्सा शिक्षा विभाग
3.4	आयुर्वेद और यूनानी औषधालयों का उन्नयन	दिसम्बर 2021	आयुष विभाग
3.5	एम.सी.आई. मापदण्डों अनुसार मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और शिक्षण ब्लॉकों का उन्नयन	दिसम्बर 2024	चिकित्सा शिक्षा विभाग
3.6	प्रत्येक जिला अस्पताल में रेफरल को कम करने के लिये क्रियाशील आई.सी.यू, एच.डी.यू वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, डायग्नॉस्टिक्स सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.7	पी.पी.पी. (Public Private Partnership) मोड पर 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिये नीति निर्धारण	दिसम्बर 2022	चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.8	शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs), राज्य शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT), अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संस्थान (ईएलटीआई), तकनीकी शिक्षा के 07 कॉलेज और शिक्षा में उच्च अध्ययन के 2 संस्थानों का सशक्तिकरण	दिसम्बर 2023	स्कूल शिक्षा विभाग
3.9	10 आईटीआई (Industrial Training Institutes) के लिये टीवीईटी Technical and Vocational Education and Training (TVET) अधोसंरचना का उन्नयन और विकास जिसके फलस्वरूप आई.टी.आई. के आकांक्षात्मक मूल्यों (Aspirational values) में वृद्धि ● संबंधित आई.टी.आई. में 64% की वर्तमान नामांकन दर से नामांकन दर में 85% की वृद्धि ● वर्तमान प्लेसमेन्ट दर 20% से 30% की वृद्धि	दिसम्बर 2022	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
3.10	75 महाविद्यालयों के लिये नई इमारत और 200 महाविद्यालयों की अधोसंरचनाओं को मजबूत करना	दिसम्बर 2023	उच्च शिक्षा विभाग

3.11	10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों की स्थापना	दिसम्बर 2024	स्कूल शिक्षा विभाग
4 : सरकारी विभागों का पुनर्गठन और बेहतर सेवा वितरण के लिये एक समन्वय तंत्र का निर्माण – दिसम्बर 2022			
4.1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का समविलय	मार्च 2021	सामान्य प्रशासन विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.2	आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्रों के बीच संचार और सहयोग के लिये एक साझा मंच का निर्माण	दिसम्बर 2022	चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग
4.3	रेफरल सेवाएं, परामर्श और पर्यवेक्षण हेतु मेडिकल कॉलेजों के क्षेत्र में आने वाले HWCs, CHCs तथा जिला चिकित्सालयों के साथ मैपिंग	दिसम्बर 2022	चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.4	आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत कार्यरत स्कूलों का स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों के साथ विलय	दिसम्बर 2021	स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग
4.5	10,000 विद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देने एवं नीति निर्माण के कार्य हेतु स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु : • 10 ज़िला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में गणित व विज्ञान क्लब का निर्माण • संबंधित उत्कृष्ट विद्यालयों में गणित व विज्ञान संकायों हेतु 5% तक उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि	सितम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग

4.6	उन विभागों के लिये एक अभिसरण प्रमाणन ढांचे का विकास जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं	जनवरी 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग, अन्य विभाग– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं आवास, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि, उद्यानिकी, एमएसएमई
4.7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं आवास, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि, उद्यानिकी विभागों को कौशल कन्वर्जेन्स पोर्टल पर साथ लाना	मार्च 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग, अन्य विभाग– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं आवास, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि, उद्यानिकी, एमएसएमई
4.8	कॉलेजों की जनभागीदारी समिति व्यवस्था को फिर से देखना	दिसम्बर 2021	उच्च शिक्षा विभाग

5 : एकीकृत आईसीटी प्लेटफॉर्मों के एकीकृत परिनियोजन के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम में बेहतर परिणाम – दिसंबर 2022			
5.1	1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10,000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ परामर्श के लिये टेलिमेडिसिन और अन्य आईसीटी (ICT) उपकरणों का उपयोग करना	मार्च 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5.2	इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों का संग्रहण करने के लिये राष्ट्रीय डिजि़टल स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5.3	एकीकृत डेटा प्रबंधन, निगरानी तथा विश्लेषण के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और आई.ई.सी. के लिए आई.सी.टी. का उपयोग	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.4	आर.सी.एच. डेटाबेस के साथ नागरिक पंजीकरण प्रणाली का एकीकरण	मार्च 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं योजना और सांख्यिकी विभाग
5.5	प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं बायोमेडिकल के क्षेत्र में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI पर काम करने वाली संस्थाओं के साथ एमओयू (MoU) संपादित करना	दिसम्बर 2022	चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग
5.6	सभी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को एक स्रोत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सी.ए.एस. (CAS), RCH एवं एच.एम.आई.एस. Health Management Information System (HMIS) पोर्टल में डाटा का समायोजन	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग
5.7	10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों में कक्षा 1–12 तक के लर्निंग आउटकम्स के मूल्यांकन के लिये आई.टी. आधारित तृतीय पक्ष मूल्यांकन करना	मार्च 2022	स्कूल शिक्षा विभाग
5.8	10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों में आई.टी. आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना	अगस्त 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
5.9	100 शासकीय कॉलेजों Higher Education Institutes (HEIs) में आईटी की अधोसंरचनाओं को कम्प्यूटर लैब के साथ सुदृढ़ करना तथा मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन, प्रशिक्षुओं/छात्रों के आई.टी. उन्मुखीकरण एवं संस्थान के सामान्य प्रशासन हेतु 10 संभागीय ITIs को कम्प्यूटर लैब, सॉफ्टवेयर और मानव संसाधन से सुसज्जित करना	सितम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग, एवं उच्च शिक्षा विभाग
5.10	आई.टी.आई. प्रशिक्षुओं को 10 आई.टी.आई. ट्रेडों में मिश्रित अधिगम विकल्प (Blended learning option) प्रदान करने के लिये एक आई.टी. आधारित ऑनलाइन लर्निंग मंच की स्थापना करना	मई 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

5.11	मिश्रित अधिगम विकल्प के माध्यम से प्रशिक्षण सत्रों को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 550 प्रशिक्षण अधिकारियों की डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग हेतु क्षमता संवर्धन	मई 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
5.12	200 शासकीय कॉलेजों में वर्चुअल लर्निंग सुविधा और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करना, शैक्षिक संसाधनों और अभिलेखों के संधारण हेतु एक उच्च शैक्षिक डिजिटल रिपॉजिटरी (HEDR) की स्थापना करना	दिसम्बर 2021	उच्च शिक्षा विभाग
5.13	प्रशिक्षण प्रदाय करने मिश्रित शिक्षण, सिम्युलेटेड लर्निंग, Massive Open Online Courses (MOOCs) एवं प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त आंकलन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग	सितम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
5.14	निदेशालय एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के लिये एकीकृत पोर्टल का विकास	दिसम्बर 2021	उच्च शिक्षा विभाग
6 : पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य और शिक्षा पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार – दिसम्बर 2024			
6.1	कैडर समीक्षा एवं नवीन आई.पी.एच.एस. Indian Public Health Standards (IPHS) मापदंडों के अनुसार मानव संसाधन की पूर्ति करना एवं चिकित्सा, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों को लोक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मानव संसाधन और मानदेय/पारिश्रमिक नीतियों में संशोधन करना : ● दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने हेतु भत्ते का प्रावधान ● ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना हेतु स्पॉन्सर प्राप्त स्नातकोत्तर/ डिग्री/डिप्लोमा को वरीयता ● स्थायी स्थानान्तरण नीति निर्धारण जिसके अंतर्गत CeMONC एवं BeMONC संस्थाओं को कार्यात्मक बनाने हेतु पदस्थापना में वरीयता	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वित्त विभाग

6.2	लोक स्वास्थ्य प्रबंधकों के कैडर का निर्माण	जून 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वित्त विभाग
6.3	अस्पताल प्रबंधकों के कैडर का निर्माण	जून 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6.4	एक मिडवाइफरी कैडर का निर्माण	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6.5	नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल का सुदृढ़ीकरण और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया (NCI) के अनुसार शिक्षण मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2021	चिकित्सा शिक्षा विभाग
6.6	प्रशिक्षण रणनीति जिसमें कार्य विवरण (विशेषज्ञ/क्लीनिकल, प्रशासनिक, लोक स्वास्थ्य और नर्सिंग) के आधार पर प्रशिक्षण का प्रावधान हो। 1. सेवा अवधि एवं कार्य मानदण्ड के साथ प्रशिक्षण को जोड़ना 2. अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबद्धता 3. MCI रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिये क्रेडिट प्वाईंट रेटिंग प्रणाली के साथ जोड़ना 4. नवीन प्रोटोकॉल के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन 5. प्री–सर्विस एजुकेशन का पुनरीक्षण 6. नवीन आई.टी. आधारित प्रशिक्षण सामग्री एवं तरीकों का उपयोग	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6.7	प्रोफेशनल निकायों द्वारा सी.एम.ई. संगठन अनिवार्य करना। क्रेडिट बिन्दुओं और प्रत्येक पाँच वर्षों में एम.सी.आई. पंजीकरण के नवीनीकरण से जोड़ना	मार्च 2022	चिकित्सा शिक्षा विभाग
6.8	विशेषज्ञों (स्त्री रोग, बाल रोग, निश्चेतना, रेडियोलॉजी, (CPS) की कमी को दूर करने हेतु कम से कम 40 ज़िला अस्पतालों में पी.जी. डिप्लोमा/डीएनबी डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रारंभ करना	अगस्त 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

6.9	राज्य की शत–प्रतिशत आशा कार्यकर्ताओं का परिवार नियोजन के उपायों, ए.एन.सी. Antenatal Care (ANC), एचबीएनसी Home Based Newborn Care (HBNC) तथा एच.बी.वाय.सी. Home Based Care for Young Child (HBYC) में क्षमता संवर्धन	दिसम्बर 2023	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6.10	सभी शिक्षक प्रशिक्षकों के रिक्त पदों (470) और शिक्षकों के रिक्त पदों को 3 वर्षों में आनुपातिक रूप से भरना (मौजूदा रिक्तियां 57,000 शिक्षक आदिवासी कल्याण और स्कूल शिक्षा विभाग में 52,000 शिक्षकों के पदों की रिक्तियां)	दिसम्बर 2024	स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग
6.11	शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये राज्य की नीति तैयार करना तथा प्रशिक्षण के लिये मिश्रित प्रादर्श (Blended model) तैयार करना, इसके साथ साथ शिक्षकों के पूरे पेशेवर जीवन चक्र के लिये AI आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण करना	दिसम्बर 2020	स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग
6.12	प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन तथा शिक्षकों और आईटीआई कर्मचारियों की डिजिटल योग्यता में वृद्धि करना	सितम्बर 2021	स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग
7 : स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना – दिसम्बर 2023			
7.1	असंचारी और क्रोनिक बीमारियों के लिए आयुष दवाओं पर अनुसंधान और विकास	दिसम्बर 2023	आयुष विभाग
7.2	राज्य स्तरीय अनुसंधान संगठन की स्थापना और उपचार तथा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल के मानकीकरण (Standardization of Diagnostic Protocols) के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर	दिसम्बर 2021	चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7.3	अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	सितम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग

7.4	नवाचारों, सुधारों और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए म.प्र. नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग

8 : बीमारियों की रोकथाम और शीघ्र निदान पर जोर – दिसम्बर 2021 (यह एक प्रक्रिया परिणाम संकेतक है)			
8.1	स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्वास्थ्य संचार रणनीति तैयार करना	दिसम्बर 2021	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
8.2	निवारक देखभाल (प्रिवेन्टिव केयर) के लिए आयुष दवाओं पर जोर	दिसम्बर 2021	आयुष विभाग
9 : स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रत्यायन – दिसम्बर 2023			
9.1	कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन/इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना	दिसम्बर 2023	स्कूल शिक्षा विभाग
9.2	इंजीनियरिंग कॉलेजों (सरकार द्वारा स्वायत्त घोषित) और यू.आई.टी. (विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान) के सभी पाठ्यक्रमों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) से संबद्ध करना	दिसम्बर 2023	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग
9.3	50 कॉलेजों के लिए नैक National Assessment and Accreditation Council (NAAC) "A" ग्रेड और 20 कॉलेजों के लिए A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रयास एवं एनआईआरएफ National Institutional Ranking framework (NIRF) में पहले 100 संस्थानों में HEIs की चयन के लिए प्रयास	दिसम्बर 2023	उच्च शिक्षा विभाग

10 : सभी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार – दिसम्बर 2023			
10.1	एम.सी.आई. के शिक्षण मानदंडों जिसमें कक्षाओं का समय–निर्धारण, clinical teaching एवं evening bed side teaching का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना	मार्च 2021	चिकित्सा शिक्षा विभाग
10.2	कक्षा 1 और 2 के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ाना एवं भाषा और गणित में कक्षा 1 और 2 के लिए मापने योग्य सीखने के परिणामों को परिभाषित करना	दिसम्बर 2023 एफ.एल.एन. दिशा निर्देश प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर	स्कूल शिक्षा विभाग
10.3	विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित (STEAM) आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना।	मार्च 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
10.4	10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों की विशेषता होगी : लाइफ स्किल मॉड्यूल शुरू करके छात्रों में सामाजिक–भावनात्मक कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षकों के लिए नेतृत्व और प्रेरणा पाठ्यक्रम, नियमित पीटीएम (Parent Teacher Meetings)/एस.एम.सी. (School Management Committee) बैठकों की आयोजन करके माता–पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना	मार्च 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
10.5	सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) से मान्यता प्राप्त 10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों का निर्माण जिसमें प्रत्येक स्कूल में एक अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन होगा	मार्च 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
10.6	प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए विशेष योजना– ''प्रखर'' आरंभ करना	मार्च 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
10.7	ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए 25 HEIs और तकनीकी संस्थानों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी	दिसम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग

11: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के छात्रों की रोज़गार क्षमता में सुधार – दिसम्बर 2022			
11.1	चयनित स्कूलों में कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करना	मार्च 2021	स्कूल शिक्षा विभाग
11.2	विवेचनात्मक सोच (Critical Thinking) से संबंधित पाठ्यक्रम (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, कोडिंग आदि) को आरम्भ करना	भारत सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने के 1 वर्ष के भीतर	स्कूल शिक्षा विभाग
11.3	हब और स्पोक मॉडल पर इंजीनियरिंग तथा जिला स्तर के ITIs में कॅरियर तथा प्लेसमेंट सेल की स्थापना करना और 200 कॉलेजों में प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल की स्थापना करना	सितम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग
11.4	आई.टी.आई. में मौजूदा 10 सबसे लोकप्रिय ट्रेडों को उद्योग की मांग से जोड़ना	जुलाई 2021	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
11.5	6 राज्य विश्वविद्यालयों तथा 10 डिवीजन स्तर के आई.टी.आई. में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करना ● संचयी आधार पर 10 संभागीय आई.टी.आई. से कम–से–कम 5 स्टार्टअप की स्थापना ● हर साल 25 नवाचारों/स्टार्टअप को पोषित करने का लक्ष्य	दिसम्बर 2022	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग
12 : स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की वृद्धि में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना – दिसम्बर 2023			
12.1	सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP mode) से 100 से अधिक बिस्तरों वाले सभी जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में high-end diagnostic lab की सेवाएं और 500 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में इमेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराना	दिसम्बर 2022	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.2	स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन	दिसम्बर 2020	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
12.3	मेडिकल उपकरण और बायोमेडिकल पार्क के निर्माण में निवेश को बढ़ावा देना	दिसम्बर 2021	आई.पी.आई.पी. विभाग
12.4	पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की स्थापना	दिसम्बर 2023	चिकित्सा शिक्षा विभाग
12.5	पीपीपी मोड में 5 आईटीआई के लिए TVET अधोसंरचना का विकास और उन्नयन	जुलाई 2022	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
13 : सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के उपयोग में सुधार के लिए उनका पुनर्गठन – दिसम्बर 2023			
13.1	स्टैन्डर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण उपरांत 350 रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.एम.ओ. के रूप में आयुष चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना	दिसम्बर 2021	आयुष विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
13.2	50 सरकारी कॉलेजों का बहु–विषयक (Multi disciplinary) संस्थानों के रूप में उन्नयन	दिसम्बर 2023	उच्च शिक्षा विभाग
13.3	कम नामांकन और कम गुणवत्ता वाले स्कूलों का बड़े संसाधन संपन्न स्कूलों में विलय तथा स्कूल तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना	दिसम्बर 2023	स्कूल शिक्षा विभाग
14 : लिंग समता पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें आकांक्षात्मक बनाने के साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सुविधाओं की पहुंच में सुधार – दिसम्बर 2022			
14.1	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में छात्राओं का अनुपात 35% तक बढ़ाना	दिसम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग

14.2	तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में (TVET) 5000 स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र–छात्राओं की काउंसलिंग	मार्च 2021	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग
14.3	प्रदेश में ''आई.टी.आई. चले हम'' अभियान चलाकर लोगों तक इस संदेश को पहुँचाना	जुलाई 2021	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
14.4	उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच बढ़ाने के लिये 150 नये ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) केंद्र खोलना	जून 2021	उच्च शिक्षा विभाग
14.5	मल्टीपल एन्ट्री और एक्ज़िट सिस्टम के अनुसार पाठ्यक्रम को नया स्वरूप देना	दिसम्बर 2022	उच्च शिक्षा विभाग
15 : तकनीकी और उच्च शिक्षा में बेहतर उद्योग और अकादमिक इंटरफेस–दिसम्बर 2022			
15.1	उद्योगों के साथ परामर्श करके पाठ्यक्रमों में Industry 4.0 कोर्सेस, जैसे–IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा आदि का समावेश करना	दिसम्बर 2021	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
15.2	ग्लोबल स्किल पार्क और 10 मेगा आईटीआई के लिये उद्योगों के साथ भागीदारी	दिसम्बर 2022	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
15.3	उच्च शिक्षा में व्यवसाय को एकीकृत करने के लिये 5 क्षेत्रों में उद्योगों के साथ भागीदारी	दिसम्बर 2021	उच्च शिक्षा विभाग
16 : स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण और उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण – दिसम्बर 2023			
16.1	15 HEIs तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अन्य चयनित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	दिसम्बर 2022	चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास, रोज़गार एवं उच्च शिक्षा विभाग
16.2	परिणाम आधारित शिक्षण और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिये उद्योग से प्राप्त इनपुट के आधार पर स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेस में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण	दिसम्बर 2022	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग, उच्च शिक्षा

16.3	चिन्हित किये गये 150 कॉलेजों को क्वालिटी लर्निंग सेंटर (QLC) में परिवर्तित करना।	दिसम्बर 2023	उच्च शिक्षा विभाग
16.4	10 संभागीय आई.टी.आई. में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 1 प्रौद्योगिकी उन्मुख ट्रेड प्रस्तावित करना	जुलाई 2022	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोज़गार विभाग
16.5	बाजार जरूरतों पर आधारित प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के डिज़ाइन एवं संचालन के लिये 100 सरकारी कॉलेजों का चिन्हांकन	दिसम्बर 2021	उच्च शिक्षा विभाग

विषय – 4

अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार

विषय–4
अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार

4.1 सामान्य

मध्यप्रदेश सतत विकास के बल पर बीमारू राज्यों की सूची से बाहर निकलकर सुचारू राज्य बन गया है और चोटी के राज्यों की सूची में शामिल होने हेतु प्रयासरत है। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाना महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, पिछले एक दशक से भी अधिक समय से लगातार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास में अग्रणी रहा है। कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण मध्यप्रदेश विगत कई वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित होता आया है।

राज्य ने निवेश को आकर्षित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये हैं, जैसे 30 दिवस में व्यवसाय शुरू करने के लिये विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गयी है। इन्हीं प्रयासों के कारण राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना (State Business Reform Action Plan) वर्ष–2019 की रैंकिंग अनुसार मध्यप्रदेश कारोबार में सहूलियत देने (Ease of Doing Business) वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्धता, नर्मदा जल की उपलब्धता, विद्युत अधिशेष, लगभग नगण्य श्रम–अशांति घटनायें, प्रख्यात कौशल संस्थाओं की उपस्थिति एवं बेहतरीन अधोसंरचना की उपलब्धता के कारण मध्यप्रदेश में भारत के मेन्युफैक्चरिंग–हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश ऑटो–सेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा एवं परिधान, रक्षा क्षेत्र, लॉजिस्टिक और भंडारण उद्योगों के लिये उपयुक्त है।

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणियों एवं बाघों की प्रचुरता होने के कारण 'टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में वनोपज के संवहनीय उपयोग एवं मूल्य संवर्धन पर कार्य करने की दिशा में उचित कदम उठायेगा। "बफर में सफर" को प्रोत्साहित करते हुये बफर जोन विकास पर ध्यान दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश ने विगत एक दशक में महत्वपूर्ण औद्योगिक अधोसंरचनाओं पर लगातार निवेश किया है। इसके साथ ही अब प्रदेश कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर ध्यान दे रहा है तथा रोज़गार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को आकर्षित करने हेतु प्रयासरत है।

अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार विषय पर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों एवं हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने हेतु 11 अगस्त, 2020 को वेबिनार आयोजित किया गया। सुगमता की दृष्टि से वेबिनार का आयोजन निम्नलिखित चार उप–समूहों में विभाजित कर किया गया है।

1- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
2- उद्योग एवं कौशल विकास
3- प्राकृतिक संसाधन
4- व्यापार एवं वाणिज्य

वेबिनार में लगभग 150 विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने मंथन कर अपने सुझाव दिये। प्राप्त सुझावों को निम्नानुसार पांच मंत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया :

1- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (ANMP)=CSR जिसका अर्थवैश्विक प्रतिस्पर्धा (Global Competitiveness), संवहनीयता (Sustainability) एवं लचीलापन (Resilience) है।
2- सबके लिये पढ़ाई, सबके लिये कमाई
3- एक जिला, एक पहचान
4- स्थानीय के लिये मुखर
5- कृषि में रोज़गार से कृषि के इर्द–गिर्द रोज़गार

4.2 विचार

राज्य के प्रत्येक जिले में कोई ना कोई विशेषता है, जैसे–चंदेरी की साड़ियां, महेश्वर की साड़ियां, बाघ प्रिंट इत्यादि, जिनमें स्थानीय कारीगर काम करते हैं। इसी तरह निमाड़ क्षेत्र की मिर्च, मूंगफली व कपास, मुरैना जिले की सरसों व गजक, सागर, आगर, मंदसौर, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिलों के संतरे, बुरहानपुर के केले, मंदसौर का लहसुन इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इन विशेष उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित कर देश–विदेश स्तर तक पहुंचाने के प्रयास करने होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और आय में वृद्धि हो सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

आत्मनिर्भरता के लिये CSR के मंत्र का मतलब यह है कि हमें अपने भाग्य को स्वयं बनाना होगा। जैसे–जैसे प्रदेश में सभी आवश्यक साधन उपलब्ध होंगे, तो प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जायेगा। CSR का अर्थ है–वैश्विक प्रतिस्पर्धा (Global Competitiveness), संवहनीयता (Sustainability) एवं लचीलापन(Resilience)। हमारे उत्पाद उच्चगुणवत्ता के हों ताकि हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

श्री जयंत सिन्हा

लोक सभा सांसद

कृषि में रोज़गार के स्थान पर कृषि क्षेत्र के इर्द–गिर्द रोज़गार निर्माण पर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र में रोज़गार निर्माण हो सके इस पर ध्यान देना होगा, जिसके लिये कृषि आधारित मूल्य–श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होगा। मध्यप्रदेश में देश को खाद्य तेल एवं दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपार संभावनाएं हैं।

श्री रमेश चंद

सदस्य, नीति आयोग

स्थानीय छोटे अनाजों (minor millets) को बच्चों के भोजन में शामिल करने की दिशा में काम होना चाहिये। प्रदेश को उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान की भी आवश्यकता है। मध्यप्रदेश को राज्य की पर्यटन संपदा (विरासत, संस्कृति एवं वन्य जीवन) में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ लेना चाहिये। विद्युत वाहनों, उन्नत बैटरी निर्माण आदि को भी बढ़ावा मिले।

श्री अमिताभ कांत

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुछ चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। हमें जापान की तरह प्रौद्योगिकी विकसित कर पूरे विश्व में निर्यात करने की दिशा में कदम उठाने होंगे।

श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं विचारक

4.3 तीन वर्षों का रोडमैप

1. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

1.1	फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा विविधीकरण	समय सीमा	नोडल विभाग	सूचक
1.1.1	89 आदिवासी विकासखंडों में 50 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि	3 वर्ष	कृषि विभाग	आदिवासी विकासखंडों का प्रतिशत, जहां 50 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि हुई है
1.1.2	उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास हेतु विशेष मिशन। सुधार उपरांत भूमि का उपयोग फलदार वृक्षों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में किया जायेगा	1 वर्ष	कृषि विभाग	भूमि (उथले और मध्यम खड्डों वाली) का प्रतिशत, जहां भूमि विकास उपरांत फलदार/ औषधीय वृक्षों की खेती हो रही है
1.1.3	हरे चारे की उपलब्धता हेतु चारा–उत्पादन के रकबे को दो–गुना करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	हरे चारे उत्पादन के रकबे में प्रतिशत वृद्धि
1.1.4	जिलेवार उत्पादन और उपभोग का विश्लेषण करना	1 वर्ष	कृषि विभाग	जिले जहां विश्लेषण पूरा हो गया है
1.1.5	प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना	3 वर्ष	कृषि विभाग	किसान का प्रतिशत, जिन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध किया गया
1.1.6	उच्च मूल्य की फसलें उगाने वाले क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य जांच में सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण की अधिक श्रेणियां जोड़ी जायेंगी	2 वर्ष	कृषि विभाग	उच्च मूल्य वाली फसलों के रकबे में वृद्धि, जहां अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण वाले मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया गया
1.1.7	समस्त गांवों की उर्वरकता का मानचित्रण किया जायेगा और जी.आई.एस. पोर्टल से जोड़ा जायेगा	2 वर्ष	कृषि विभाग	1. मैप किये गये गांवों की संख्या 2. जी.आई.एस. पोर्टल पर एकीकृत किये गये गांवों की संख्या
1.1.8	बीज निगम तथा कृषि विभाग के कृषि प्रक्षेत्रों पर हाइब्रिड/जैविक/नवीन किस्मों के बीजों का उत्पादन	3 वर्ष	कृषि विभाग	संकर बीज/ जैविक बीज /नई किस्म के बीज के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि

1.1.9	बीज अनुसंधान, सूखा प्रतिरोधी बीज उत्पादकता और उपलब्धता, बदलती जलवायु को देखते हुये, अल्पकालिक फसलें आदि के लिये एक नीति तैयार की जायेगी	1 वर्ष	कृषि विभाग	राज्य के लिये नीति का मसौदा तैयार
1.1.10	प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लेना अनिवार्य किया जायेगा	6 माह	कृषि विभाग	होलोग्राम के साथ बीज पैकिंग का प्रतिशत
1.1.11	बीज रोलिंग योजना अद्यतन करने के साथ–साथ 3,000 बीज ग्राम विकसित किये जायेंगे	3 वर्ष	कृषि विभाग	लक्ष्यों की तुलना में बीज ग्रामों में प्रतिशत वृद्धि
1.1.12	विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों का उत्पादन कर प्रदेश को बीज आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी जैसे– सोयाबीन (JS-2029, JS-2069), चना (JGS-II, JG-14), सरसों (RVS 2004), धान (JRH-4/5/8119), गेहूं (GW-1255, GW-I), (JW-3288, JW-3336, JW-1255)	3 वर्ष	कृषि विभाग	विभिन्न फसलों की नये किस्मों से खेती के रकबे में प्रतिशत वृद्धि
1.1.13	किसानों की भागीदारी के माध्यम से संकर बीज उत्पादन (जैसे मक्का, धान, सरसों आदि) कर प्रदेश को हाइब्रिड बीज उत्पादन हब बनाया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	संकर बीज उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि
1.1.14	100 उद्यानिकी नर्सरियों का पी.पी.पी. मोड पर सुदृढ़ीकरण	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. उन्नत नर्सरी की संख्या 2. प्रतिवर्ष उत्पादित पौधों की संख्या
1.1.15	केंद्रीकृत सहायता/तकनीकी सेवाओं सहित 20 ग्रीन–हाउस समूहों का विकास	3 वर्ष	कृषि विभाग	लक्ष्य (20) की तुलना में पूरे किये ग्रीन हाउस क्लस्टर
1.1.16	किसानों के खेतों में 15,000 सोलर पंपों को स्थापित किया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	15,000 के लक्ष्य के विपरीत स्थापित एवं कार्यरत सोलर पंपों की संख्या
1.1.17	किसानों के लिये राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केन्द्र स्थापित किया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	किसानों का प्रतिशत जिनका कौशल उन्नयन किया गया

1.1.18	छोटे अनाजों (Millet) के मूल्य संवर्धन के लिये विशेष योजना तैयार की जायेगी	1 वर्ष	कृषि विभाग	कुल बुवाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत रकबा छोटे अनाजों (Millet) की बुवाई का है
1.1.19	प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (PACS) को "सामान्य सुविधा केन्द्र" के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें कृषि ऋण, विपणन एवं अन्य कृषि संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी	3 वर्ष	कृषि विभाग	कितने प्रतिशत प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (PACS) को "सामान्य सुविधा केन्द्र" के रूप में विकसित किया
1.1.20	सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश हरित क्रांति कंपनी का गठन करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.1.21	कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विस्तार हेतु समस्त ग्रामों में समग्र कृषि विकास प्लान तैयार किये जायेंगे	1 वर्ष	कृषि विभाग	कितने प्रतिशत ग्रामों में समग्र कृषि विकास प्लान तैयार किये गये
1.1.22	राज्य में विशेषकर बुंदेलखण्ड क्षेत्र में 1000 किसानों को पान की खेती से जोड़ा जायेगा	2 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. प्रति वर्ष लाभान्वित किसानों की संख्या 2. प्रति वर्ष पान की खेती के क्षेत्र में वृद्धि 3. प्रति वर्ष प्रति जिले उत्पादन में वृद्धि

1.2	**कृषि में जोखिम प्रबंधन हेतु नवीन/उन्नत कृषि तकनीकी के कृषि क्षेत्र में शीघ्र उपयोग को प्रोत्साहित करना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.2.1	313 विकासखण्डों में स्वचालित मौसम केंद्रों (Automated Weather Station एवं Automated Rain Gauge) की स्थापना तथा डाटा का पोर्टल पर एकीकरण	3 वर्ष	कृषि विभाग	पोर्टल में कितने विकासखंडों का डाटा एकीकृत किया गया
1.2.2	भूमि उपयोग, वाटरशेड विकास, फसलों की व्यवस्था के आंकलन हेतु जीआईएस एवं रिमोट सेन्सिंग (RS) जैसी तकनीकों का उपयोग करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	राज्य में GIS और RS के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या

1.2.3	ड्रोन, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और जीआईएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने हेतु बुनियादी डिजिटल अधोसंरचना का विकास ताकि कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में डाटा आधारित निर्णय लिये जा सकें	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.2.4	1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों (Climate-smart) का विकास	3 वर्ष	कृषि विभाग	1000 के लक्ष्य की तुलना में विकसित जलवायु–स्मार्ट कृषि ग्रामों की संख्या
1.2.5	प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र जिले के लिये उपयुक्त चार फसलों पर जोर देगा एवं इन फसलों के लिये विशेष केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	चार फसलों पर जोर दे रहे कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रतिशत
1.2.6	टास्कफोर्स का गठन जो कृषि गारंटी ट्रस्ट के गठन के संबंध में सलाह दे ताकि फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर फसल बीमा तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC)के आधार पर राहत राशि प्रदान करने के मॉडल पर विचार कर अनुशंसा प्रदान करें	6 माह	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.2.7	5 लाख हेक्टेयर में जैविक मल्चिंग को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार	3 वर्ष	कृषि विभाग	प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार उपरांत जैविक मल्चिंग अपना रहे किसानों का प्रतिशत
1.2.8	नरवाई जलाने वाले क्षेत्रों पर अंकुश लगाने हेतु नवीन कृषि उपकरणों (हैप्पी सीडर, बेलर) के उपयोग को बढ़ावा एवं प्रचार–प्रसार	3 वर्ष	कृषि विभाग	प्रौद्योगिकी एवं प्रचार–प्रसार से नरवाई जलाने में आई कमी का प्रतिशत
1.2.9	लैब टू लैण्ड हेतु रणनीति तैयार करना ताकि कृषि क्षेत्र के शोधों का प्रचार–प्रसार कर उत्पादकता में सुधार किया जा सके	1 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं

1.3	**कृषि अधोसंरचना का विकास ताकि घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं हेतु उत्पादन और कुशल वितरण तंत्र को सहयोग मिले**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.3.1	6 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लक्ष्य के विरुद्ध कितने कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये
1.3.2	राज्य स्तरीय ''पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.3.3	राज्य में 5 स्थानों पर फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना	3 वर्ष	कृषि विभाग	कितनी फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई
1.3.4	मृदा हेतु एक क्रियाशील फाइटोसैनिट्री–लैब कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाई जायेगी	1 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.3.5	सभी जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी	3 वर्ष	कृषि विभाग	कितने जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई
1.3.6	सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी	2 वर्ष	कृषि विभाग	कितने संभाग मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई
1.3.7	3,000 नये कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किये जायेंगे। कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) के साथ 500 नये कस्टम हायरिंग सेंटर	3 वर्ष	कृषि विभाग	1. लक्ष्य की तुलना में कितने प्रतिशत CHC स्थापित किये गये 2. लक्ष्य की तुलना में कितने प्रतिशत CHC, FPO के माध्यम से स्थापित किये गये
1.3.8	कृषि यंत्रीकरण के बड़े निर्माताओं के साथ मिलकर 10 कृषि यंत्र कौशल विकास संस्थानों की स्थापना	2 वर्ष	कृषि विभाग	कितने कृषि यंत्र कौशल विकास संस्थान स्थापित किये गये
1.3.9	यंत्र दूत योजना अंतर्गत 1000 ग्रामों में मशीनीकृत कृषि प्रणाली स्थापित की जायेगी	2 वर्ष	कृषि विभाग	यंत्र दूत योजना अंतर्गत कितने ग्रामों में मशीनीकृत कृषि प्रणाली स्थापित की गई

1.3.10	हलधर योजना अंतर्गत एक लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जायेगी	3 वर्ष	कृषि विभाग	कितने हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की गई
1.3.11	रैज्ड–बेड प्लांटर एवं रिज–फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रैज्ड–बेड पद्धति का विस्तार किया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	कितने हेक्टेयर भूमि में रैज्ड–बेड पद्धति का विस्तार किया गया
1.3.12	10 स्थानों पर पी.पी.पी. के माध्यम से टिशू कल्चर सुविधा तैयार की जायेगी।	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. प्रति वर्ष निर्मित टिशू कल्चर सुविधाओं की संख्या 2. टिशू कल्चर प्रयोगशाला में उत्पादित टिशू कल्चर पौधों की संख्या 3. प्रति वर्ष बेचे जाने वाले पौधों की संख्या
1.3.13	उद्योग विभाग के साथ मिलकर कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जायेगी	1 वर्ष	कृषि विभाग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (IP&IP Department) कृषि और बागवानी विभाग द्वारा तैयार किये गये खाके के आधार पर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा
1.3.14	युवा स्वरोज़गार योजनाओं के माध्यम से 3000 एग्री क्लीनिक एवं एग्री–सर्विस केन्द्रों की स्थापना	3 वर्ष	कृषि विभाग	लक्ष्य की तुलना में कितने प्रतिशत एग्री क्लीनिक एवं एग्री–सर्विस केन्द्रों की स्थापना की गई

1.4	**प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.4.1	प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना	3 वर्ष	कृषि विभाग	4 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले प्रमाणित जैविक खेती रकबे में प्रतिशत वृद्धि
1.4.2	बीज निगम के प्रक्षेत्रों पर 30 हजार क्विंटल जैविक बीजों का उत्पादन	3 वर्ष	कृषि विभाग	30,000 क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले जैविक बीज उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि

1.4.3	आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने के लिये उद्यानिकी फसलों की पहचान 2. जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल की संख्या विकसित/फसल/वर्ष 3. जैविक प्रमाणित रकबा
1.4.4	मण्डला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.4.5	प्रदेश में उपयोग होने वाले जैव उर्वरकों (Bio-fertilizers) तथा जैविक कीटनाशकों (Bio-Pesticides) का प्रदेश में ही उत्पादन करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	जैव–कीटनाशकों और जैव–उर्वरक के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि
1.4.6	बीज उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाना एवं उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना	1 वर्ष	कृषि विभाग	बीज उत्पादन सहकारी समितियों में प्रतिशत वृद्धि

1.5	**'एक राष्ट्र एक बाजार' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कृषि विपणन कानूनों में सुधार**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.5.1	मण्डी नियमों एवं मण्डी एक्ट में संशोधन एवं प्रभावी कार्यान्वयन	6 माह	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.5.2	30 निजी बाजार यार्ड/उपयार्ड और 100 प्रत्यक्ष खरीद केन्द्रों की स्थापना	3 वर्ष	कृषि विभाग	30 के लक्ष्य के मुकाबले निजी मंडी यार्ड में प्रतिशत वृद्धि। 100 के लक्ष्य के मुकाबले उप–मंडी यार्ड में प्रतिशत वृद्धि
1.5.3	मण्डी के समस्त रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं

1.5.4	30 आधुनिक हाईटेक कृषि उपज मंडी समितियां (APMC) तैयार करना जिसमें गोदाम, भण्डारण, मूल्यवर्धन, शीत भण्डारण और एग्री–क्लीनिक सुविधाएं हों	3 वर्ष	कृषि विभाग	30 के लक्ष्य के मुकाबले आधुनिक, उच्च–तकनीक मंडी सुविधा में प्रतिशत वृद्धि
1.5.5	सभी APMC को National Agricultural Market (e-NAM) से जोड़ना	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.5.6	मण्डियों में नये गोदामों की स्थापना और भण्डारण क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना	2 वर्ष	कृषि विभाग	10 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले मंडियों की गोदाम क्षमता में प्रतिशत वृद्धि
1.5.7	पवार खेड़ा (होशंगाबाद) की तर्ज पर तीन अन्य स्थानों पर भण्डारण और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाना है	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.5.8	वेयर हाउसिंग सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता बढ़ाना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.5.9	शरबती गेहूं, लाल ग्राम, पिपरिया तुअर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल, चिन्नोर धान को जीआई–टैग दिलाना	2 वर्ष	कृषि विभाग	किन फसलों को जीआई–टैग प्राप्त हो गया
1.5.10	भण्डारण/प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास हेतु 500 FPOs को मजबूत करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	500 के लक्ष्य के मुकाबले कितने प्रतिशत FPOs का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ
1.5.11	पुनर्विचार परियोजनाओं के माध्यम से लिये गये 35 पुराने APMC परिसरों का आधुनिकीकरण करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	पुराने APMCs के आधुनिकीकरण की संख्या

1-6	**कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादकों का मूल्य संवर्द्धन**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.6.1	कृषि उत्पादकों के गुणवत्ता मानकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) के लिये प्रोटोकॉल स्थापित करना	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं

1.6.2	कम से कम 20 APMC जिनमें फल और सब्जियां ज्यादा आती हैं वहां सफाई/ग्रेडिंग/पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. कितनी सफाई, ग्रेडिंग/पैकेजिंग एवं कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रति वर्ष विकसित की गईं 2. सुविधाओं के परिचालन की प्रतिवर्ष संख्या 3. प्रतिवर्ष कितने किसानों ने मण्डी में उक्त सुविधाओं का उपयोग किया
1.6.3	चिन्हित बागवानी क्लस्टरों में 1 लाख मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले संग्रह केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिसमें ग्रेडिंग, पैक हाउस और राईपेनिंग चेंबर जैसी सुविधाएं होंगी	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन (IP&IP) विभाग	IP&IP विभाग का इरादा अगले 5 वर्षों में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निवेश को 50% तक बढ़ाने का है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया जायेगा
1.6.4	भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर लॉजिस्टिक–कार्गो सुविधाओं को विकसित किया जायेगा ताकि बागवानी उत्पादों (Perishable) का आसान और त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. आंकलन अध्ययन प्रक्रियाधीन है एवं भोपाल और इंदौर हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है 2. हवाई अड्डे की वर्तमान सुविधाओं की समीक्षा उपरांत सुविधाओं का उन्नयन किया जायेगा
1.6.5	एक जिला एक उत्पाद के तहत खेती क्षेत्र के करीब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने हेतु क्लस्टर चिन्हित करना। मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. चिन्हित फसल–क्लस्टरों की संख्या 2. चिन्हित क्लस्टरों में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं शीत–भंडारों की संख्या 3. मार्केट लिंकेज हेतु प्रतिवर्ष आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
1.6.6	गामा–रे प्रकाशन संयंत्र की स्थापना करना जो खराब होने वाली उद्यानिकी उत्पादों की शेल्फ–लाइफ को बढ़ायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं

1.7	पशुपालन विकास	समय सीमा	नोडल विभाग	सूचक
1.7.1	मौजूदा वीर्य भण्डार केन्द्रों को मजबूत करना और नये वीर्य भण्डार स्टोर स्थापित कर जमे वीर्य का स्टॉक बढ़ाना (45 लाख प्रतिवर्ष)	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. प्रतिवर्ष वीर्य स्टेशनों में उत्पादित जमे–वीर्य स्ट्रॉ की संख्या 2. केंद्रीय वीर्य भंडारों की क्षमता बढ़ाने हेतु की गयी कार्यवाही 3. स्थापित नये वीर्य भण्डारों की संख्या
1.7.2	पशुओं की उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिये भ्रूण हस्तांतरण तकनीक (ETT) और सॉर्टेड वीर्य तकनीक (SST), उन्नत तकनीकों का उपयोग करना (3 लाख खुराक/वर्ष)	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. ETT का उपयोग कर उत्पादित बछड़ों की संख्या 2. SST का उपयोग कर उत्पादित मादा बछड़ों की संख्या। 3. ETT एवं SST के उपयोग से हुयी पशु–उत्पादकता में वृद्धि (लीटर/दिन/गांव या लीटर/दिन/परिवार या पशु)
1.7.3	कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. कृत्रिम गर्भाधान से लाभान्वित प्रजनन योग्य पशुओं का प्रतिशत। 2. कुल कृत्रिम गर्भाधान की तुलना में गर्भवती पशुओं का प्रतिशत। 3. कुल कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुये बछड़ों का प्रतिशत (कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर) 4. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता और प्रतिवर्ष किये गये कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या 5. निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठन के माध्यम से किये गये कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या 6. निजी क्षेत्र द्वारा की गई कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर
1.7.4	मवेशियों के लिये टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जैविक उत्पाद प्रयोगशाला (महू) का उन्नयन और नवीनीकरण	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. महू प्रयोगशाला की उन्नयन की स्थिति। 2. महू प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित टीकों की संख्या में वृद्धि

1.7.5	नंदीशाला योजना के विस्तार के माध्यम से देशी दुधारू पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा देना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. वितरित किये गये उच्च वंशावली बैलों की संख्या 2. प्राकृतिक गर्भाधान उपरांत गर्भवती मादा पशुओं एवं जन्मे बछड़ों की संख्या
1.7.6	उन सभी योजनाओं में सुधार करना जिनके तहत दुधारू पशुओं, बकरियों, सूअरों, मुर्गों आदि के लिये अभी सब्सिडी प्रदान की जाती है। उन्हें अधिक व्यवहार्य और अधिक रोज़गार सृजन केन्द्रित बनाना	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	लागू नहीं
1.7.7	पॉल्ट्री इकाइयों पर लगाये गये बिजली शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करना और अण्डे एवं चिकन के लिये मूल्य श्रृंखला प्रदान कर पॉल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. पड़ोसी राज्यों के बिजली शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन 2. प्रत्येक चरण में अण्डे और चिकन (पोल्ट्री और अण्डे का उत्पादन, परिवहन और भण्डारण – कोल्ड चेन सहित, उपभोग, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद, विपणन, लागत इत्यादि) की मूल्य श्रृंखला अध्ययन
1.7.8	बैकयार्ड पॉल्ट्री को बढ़ावा देना एवं मूल्य श्रृंखला तैयार करने हेतु सहयोग उपलब्ध कराना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. बैकयार्ड मुर्गीपालन हेतु चिन्हित परिवारों की संख्या 2. बैकयार्ड मुर्गीपालन इकाइयों द्वारा उत्पादित पोल्ट्री की मात्रा 3. संभावित बाजारों और दरों की सीजनैलिटी मैपिंग 4. बाजार में बिकने वाले मुर्गों की औसत दर। 5. बैकयार्ड मुर्गीपालन से जुड़े परिवारों की आय (औसत) में वृद्धि
1.7.9	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अंतर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

1.7.10	ज्ञान पोर्टल (Knowledge Portal) और युवा संवाद (Yuva Samvad) के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. पशुपालन क्षेत्र के ज्ञान–पोर्टल की स्थिति 2. ज्ञान पोर्टल के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर का विकास 3. युवा संवाद के लिये चिन्हित वैज्ञानिकों और उद्यमियों की संख्या 4. युवा संवाद कार्यक्रमों की संख्या 5. पशुपालन क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिये व्यावसायिक सहायता हेतु आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या 6. पशुपालन क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिये (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से) सहयोग प्राप्त कर चुके युवाओं की संख्या 7. ज्ञान पोर्टल पर आगंतुकों की संख्या
1.7.11	2.90 करोड़ पशुओं का प्रत्येक साल में 2 बार एफएमडी टीकाकरण (FMD Vaccination)	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	कितने प्रतिशत पशुओं का FMD टीकाकरण किया गया
1.7.12	पशुपालन में संलग्न 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड Kisan Credit Card (KCC) प्रदाय करना	1 वर्ष	पशुपालन विभाग	कितने प्रतिशत पशुपालकों को KCC से जोड़ा गया
1.7.13	मिशन मोड में अनुत्पादक सांड़ों का बधियाकरण करना (प्रथम वर्ष 12 लाख, द्वितीय वर्ष 8 लाख, तृतीय वर्ष 6 लाख)	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	प्रतिवर्ष बधिया किये गये अनुत्पादक बैलों की संख्या

1.7.14	पायलट आधार पर बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की संख्या 2. कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर 3. लक्षित पशुपालकों में कृत्रिम गर्भाधान अपनाने के प्रतिशत में हुई वृद्धि

1.8	**ग्रामों में डेयरी व्यवसाय का विकास**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.8.1	800 दुग्घ सहकारी समितियों का गठन करना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. नवीन चिन्हित मिल्क–रूट की संख्या 2. चिन्हित मिल्क–रूटों की उत्पादकता की मैपिंग 3. नई दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या का गठन
1.8.2	500 लीटर से अधिक दुग्घ उत्पादन करने वाली सभी सहकारी डेयरी इकाइयों में स्वचालित इकाइयां स्थापित की जायेंगी	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	पात्र सहकारी डेयरी इकाइयों में स्थापित स्वचालित इकाइयों की संख्या
1.8.3	50 से अधिक सदस्यों वाली समस्त प्राथमिक सहकारी दुग्घ समितियों को इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध विश्लेषक (Electronic milk analysers) प्रदाय करना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. पचास से अधिक सदस्यों वाली दुग्ध सहकारी इकाइयों की संख्या 2. स्थापित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध विश्लेषक यंत्रों की संख्या
1.8.4	दुग्घ डेयरी इकाइयों की स्थापना में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नीति तैयार की जायेगी	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	डेयरी इकाइयों में निजी निवेश प्रोत्साहन हेतु नीति निर्माण की स्थिति
1.8.5	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के तहत 2 डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेजों की स्थापना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्थापित डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेजों की संख्या

1.9	**अतिरिक्त रोजगार हेतु मत्स्यपालन तथा रेशम पालन विकास**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
1.9.1	वार्षिक मछली बीज उत्पादन को 145 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ मानक–फ्राई किया जायेगा	3 वर्ष	मत्स्य विकास विभाग	मासिक बीज उत्पादन (मानक–फ्राई में)
1.9.2	मछली उत्पादन को 2 लाख मीट्रिक टन से 3 लाख मीट्रिक टन तक लेकर जाना	3 वर्ष	मत्स्य विकास विभाग	मासिक मछली उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1.9.3	लगभग 4000 हेक्टेयर नये क्षेत्र को शहतूत रेशम उत्पादन से जोड़ा जायेगा	2 वर्ष	कृषि विभाग	शहतूत रेशम के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि
1.9.4	रेशम उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर विकसित किये जायेंगे	3 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.9.5	राज्य में उत्पादित शहतूत रेशम से 100 प्रतिशत धागा निर्माण और वैल्यू एडिशन के माध्यम से अधिक से अधिक स्व–रोज़गार के अवसर पैदा करना	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.9.6	टसर से धागा बनाने की क्षमता को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। निर्मित यार्न के मूल्यवर्धन से अधिक से अधिक स्वरोज़गार सृजन के अवसर उपलब्ध करायेंगे	2 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.9.7	20,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना और शहद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के लिये सहायता राशि प्रदान करना	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. प्रतिवर्ष मधुमक्खी पालन अपनाने वाले किसानों की संख्या 2. शहद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु किसानों को प्रतिवर्ष प्रदाय उपकरणों की संख्या 3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या/वर्ष 4. प्रतिवर्ष प्रसंस्कृत शहद उत्पादन

2. उद्योग एवं कौशल विकास

2.1	**प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास तथा मध्यप्रदेश को सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करना।**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
2.1.1	प्रत्येक जिले के लिये एक औद्योगिक/पारंपरिक उपज की पहचान करना और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये योजनाओं को तैयार करना और निष्पादित करना, जिले में उत्पादन और उत्पाद की देशव्यापी ब्रांडिंग	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. राष्ट्रीय/वैश्विक ब्रांडिंग के लिये लगभग 20 उत्पादों को चिन्हित करना 2. विस्तृत रणनीति कार्यान्वयन पश्चात, लक्षित उत्पादों के निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि वर्ष 2025 तक हासिल करना
2.1.2	रक्षा क्षेत्र, उत्पादन, रासायनिक उद्योग, चमड़े एवं गैर चमड़ा उद्योग, बैटरी भण्डारण, परिधान और वस्त्र आदि के लिये नये औद्योगिक क्लस्टर को चिन्हित कर विकसित करना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. IP&IP विभाग ने 19 ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों का प्रारंभिक नियोजन किया है 2. उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कार्यान्वयन हेतु समर्पित क्रियान्वयन एजेंसी की पहचान की जायेगी 3. अगले 5 वर्षों में 01.04.2020 की तुलना में 50 प्रतिशत औद्योगिक भूखण्डों के क्षेत्र में वृद्धि अगला कदम: औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट गतिविधियों के लिये म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) द्वारा आदेश–निर्देश जारी करना

2.1.3	चंबल प्रोग्रेस–वे और नर्मदा एक्सप्रेस–वे की निकटता वाले क्षेत्र में विशेष रूप से एमएसएमई (MSME) के लिये विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में विकसित करने की योजना तैयार करना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. 2000 एकड़ भूमि पार्सल में 5 औद्योगिक नोड्स विकसित करना। 2. 1,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जायेगा जो अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा करेगा
2.1.4	औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिये भूमि–पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जायेगा	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. पीथमपुर सेक्टर 4 और 5 में भूमि पूलिंग के माध्यम से लगभग 500 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा 2. 10,000 लोगों को रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे
2.1.5	'प्लग एण्ड प्ले' मॉडल बनाने के लिये तीन औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जा रहा है। तीन औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान मांग–आंकलन के आधार पर अगले 6 महीनों की जायेगी
2.1.6	मध्यप्रदेश की निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये तीन नये इनलैंड कंटेनर डिपो (ILD) स्थापित किये जायेंगे	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 दिनों में– आंकलन एवं विश्लेषण कर तीन नवीन ILDs स्थापित करने हेतु स्थानों को चिन्हित किया जायेगा अगला कदम: 1. मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर, स्थानों को अंतिम रूप दिया जायेगा और यातायात आवश्यकताओं के अनुसार उक्त स्थानों को विकसित किया जायेगा

2.1.7	श्रम सघन क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, परिधान और हार्डवेयर विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नीतियों में आवश्यक संशोधन करना	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. औद्योगिक संवर्धन नीति को अन्य उन्नत राज्यों की औद्योगिक नीतियों के साथ बेंचमार्क करना 2. नीतियों में संशोधन से पहले हितधारकों से चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे 3. ड्राफ्ट संशोधन अगले 6 महीनों में कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा
2.1.8	मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जायेगी	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. IP&IP विभाग प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समयसीमा में भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा (सितंबर–2020) 2. फार्मा पार्क के लिये आवश्यक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में शामिल हैं: – कॉमन प्रवाह उपचार संयंत्र – शून्य तरल निर्वहन – पूरे पार्क में कॉमन स्टीम आपूर्ति – कॉमन शीतलक जल आपूर्ति – समर्पित R&D केंद्र
2.1.9	सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्योगों के 10 एकीकृत क्लस्टर विकसित होंगे	3 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग	लागू नहीं

2.1.10	औद्योगिक इकाइयों की छतों पर अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा रेस्को (RESCO) मॉडल के सौर ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. RESCO मॉडल की पायलट परियोजना मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही है 2. मंडीदीप मॉडल की सफलता के आधार पर, विस्तृत खाका अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने हेतु तैयार किया जायेगा
2.1.11	मालवा–इंदौर, झांसी–ग्वालियर, भोपाल–इटारसी, सतना–जबलपुर आदि क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट से सहयोग लिया जायेगा	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. मालवा–इंदौर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को National Industrial Corridor-NICDCमें शामिल करने हेतु पत्र जारी हो गया है 2. अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जायेगा
2.1.12	Early Bird Projects भोपाल–इंदौर, भोपाल–बीना, जबलपुर सिंगरौली और मुरैना–बीना के चार निवेश कॉरीडोर में लागू की जायेंगी	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	Early Bird Mechanism अंतर्गत MPIDC औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि का आंकलन करने हेतु prebooking मॉडल के साथ आ रहा है। यदि आवश्यक होगा तो, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु Incentivisations के अन्य मॉडलों का पता लगाया जायेगा
2.1.13	नये औद्योगिक क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, आवासीय क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के तहत, आवासीय और अन्य सुविधाओं के विकास हेतु समर्पित स्थान

2.1.14	सभी नये औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के तहत, आम सुविधा केन्द्रों के विकास हेतु समर्पित स्थान
2.1.15	औद्योगिक उत्पादों के परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला हेतु निवेशक अनुकूल नीति तैयार की जायेगी	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. मौजूदा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी हेतु परामर्श किया जा रहा है
2.1.16	रिटेल वेयरहाउसिंग के हब के रूप में मध्यप्रदेश को स्थापित करने हेतु लॉजिस्टिक निवेश प्रमोशन पॉलिसी बनाई जायेगी	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी के उन्नयन हेतु सुझाव आमंत्रित करने के लिये हितधारक परामर्श चल रहा है 2. ड्राफ्ट अक्टूबर 2020 में पेश किया जायेगा
2.1.17	क्रिस्टल आईटी पार्क की तर्ज पर इंदौर और भोपाल में नये आईटी पार्क बनाये जायेंगें	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. मांग मूल्यांकन प्रतिक्रिया के आधार पर इंदौर और भोपाल में नये आईटी पार्क
2.1.18	राज्य में स्थापित उद्योगों के आयातों का विश्लेषण करना और राज्य में ऐसी आयातित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. हितधारक परामर्श के साथ प्रमुख उद्योगों/ उनके संघों के साथ हितधारक परामर्श किया जायेगा। प्रमुख आयात वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने हेतु – लागत, कच्चे माल की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे, श्रमबल उपलब्धता आदि पर हितधारक परामर्श

2.1.19	खाद्य तेल उत्पादन इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित कर खाद्य तेल उत्पादन में राज्य को नंबर एक बनाना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. राज्य में खाद्य तेल उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु हितधारक परामर्श किया जायेगा
2.1.20	खाद्य प्रसंस्करण को उद्यानिकी विभाग से MSME विभाग में स्थानांतरित किया जाना है	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	कैबिनेट नोट अक्टूबर–2020 तक तैयार किया जायेगा
2.1.21	भारतीय सरकार की सहायता से मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मौजूद अवसरों का पता लगाना	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. राज्य के पेट्रो–केमिकल संसाधनों का दोहन करने हेतु पेट्रो–केमिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों/ओएनजीसी या अन्य भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं

2.2	**व्यापार के लिये सहूलियत को बढ़ावा देना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
2.2.1	औद्योगिक भूमि का ऑनलाइन आवंटन शून्य प्रतीक्षा समय नीति के आधार पर किया जायेगा	6 माह	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. MPIDC औद्योगिक क्षेत्रों में GIS आधारित भूमि बुकिंग पोर्टल के माध्यम से शून्य इंतजार पर उपलब्ध भूमि पार्सल बुक करने की सुविधा है 2. GIS आधारित भूमि बुकिंग पोर्टल का उन्नयन और अधिक सुविधाओं के लिये किया जा रहा है

2.2.2	30 दिनों में व्यवसाय शुरू करने के लिये एकल खिड़की समाधान पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1.MPIDC द्वारा प्रबंधित एकल खिड़की पोर्टल पहले से परिचालित है 2. व्यवसाय शुरू करने के लिये आवश्यक 32 सेवाओं और 8 सेवाओं के लाइसेंस नवीकरण की सुविधा एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। जिनमें से 22 सेवाओं को 30 दिवस में तथा शेष सेवायें 60 दिवस में प्रदान की जाती है
2.2.3	इनवेस्ट एमपी (Invest MP) पोर्टल के माध्यम से निवेश से संबंधित 18 सेवायें ऑनलाइन एक दिवस में प्रदान की जायेंगी	6 माह	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. व्यवसाय शुरू करने के लिये आवश्यक 32 सेवाओं और 8 सेवाओं के लाइसेंस नवीकरण की सुविधा एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिनमें से 22 सेवाओं को 30 दिवस में तथा शेष सेवायें 60 दिवस में प्रदान की जाती हैं 2. विभिन्न विभागों से सेवा प्रदाय के समय को कम करते हुये अधिकतम 30 दिवस की समय–सीमा पर विचार–विमर्श किया जायेगा
2.2.4	राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप श्रम–कानूनों को निवेशकों के लिये अनुकूल बनाया जायेगा	3 वर्ष	श्रम विभाग	लागू नहीं
2.2.5	डीटीआईसी District Trade and Industries Centre (DTIC)के तहत सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम MSME की स्थापना के लिये औद्योगिक पार्कों में भूमि के आवंटन के लिये नये नियम बनाना और प्रक्रिया को सरलीकृत करना	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	कैबिनेट नोट अक्टूबर–2020 तक तैयार करना

2.3	**मध्यप्रदेश को स्टार्ट–अप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
2.3.1	प्रदेश में 200 सीट के Incubators की इंदौर तथा भोपाल में स्थापना करना Incubators के लिये मैनिट (MANIT) भोपाल एवं आईआईएम (IIM) इंदौर जैसे संस्थानों का सहयोग लेना	2 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	इनवेस्ट इंडिया एवं Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के साथ समन्वय कर खोजपूर्ण अभ्यास किया जायेगा
2.3.2	प्रदेश में 100 नवीन खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित स्टार्ट–अप विकास हेतु आवश्यक सहयोग एवं उपयुक्त सुविधायें देना। ये स्टार्ट–अप खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि से जुड़े होंगे	2 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	1. स्टार्ट–अप योजना को नया स्वरूप दिया जायेगा 2. प्रदेश के स्टार्ट–अप को प्रतिष्ठित स्टार्ट–अप प्रमोशन संगठनों के साथ जोड़ना

2.4	**राज्य में कार्यबल की कौशल क्षमता को बढ़ाना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
2.4.1	ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में कर, प्रत्येक वर्ष 6 हजार युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे	3 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	
2.4.2	कौशल विकास हेतु अग्रणी उद्योगों एवं बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग से 15 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) स्थापित किए जायेंगे	3 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	
2.4.3	समय की मांग को ध्यान में रखते हुये, कौशल कार्यक्रमों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे – मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट को शामिल किया जायेगा	3 वर्ष	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	लागू नहीं

2.4.4	10 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में औद्योगिक नियोक्ताओं के साथ समन्वय हेतु समर्पित प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	
2.4.5	15 जिला मुख्यालयों में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्लेसमेंट सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	1. विकसित सुविधाओं का निरीक्षण/पुष्टि 2. पी.पी.पी. मोड में कार्यबल की तैनाती 3. सुविधाओं का उद्घाटन
2.4.6	वंचित समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिये नये आईटीआई संस्थाओं के माध्यम से आउटरीच को बढ़ाया जायेगा साथ ही मौजूदा आईटीआई संस्थानों में अतिरिक्त हॉस्टल अधोसंरचना विकसित की जायेगी	3 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	
2.4.7	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से रोज़गार मापदण्डों पर सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग की जायेगी ताकि कोर्सों में व्यवहारिक ज्ञान एवं गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जावे	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग	1. पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिये कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना 2. रैंकिंग फ्रेमवर्क के निर्माण हेतु मापदंडों एवं टूल को विकसित कर अंतिम रूप देना 3. व्यक्तिगत संस्थानों की रैंकिंग हेतु आयुक्त कार्यालय से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पत्र जारी किया जाना

3. प्राकृतिक संसाधन

3.1	वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के योगदान में वृद्धि	समय सीमा	नोडल विभाग	सूचक
3.1.1	महाकौशल और मालवा–निमाड़ क्षेत्रों में लकड़ी/ बांस के पूर्ण प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास	2 वर्ष	वन विभाग	महाकौशल और मालवा–निमाड़ क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार करना
3.1.2	बांस गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन हेतु 20 बांस क्लस्टरों का व्यवस्थित विकास	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.1.3	बांस मिशन को वन विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करना	1 वर्ष	कृषि विभाग	लागू नहीं
3.1.4	प्रदेश की वनोपज का 'मध्यप्रदेश उत्पाद' के तौर पर जी.आई. टैगिंग करवाना एवं इसके व्यापक बाजार विस्तार के लिये योजना बनाना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.1.5	वनोपज उत्पाद गुणवत्ता, उत्पाद को ट्रेस करने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का दोहन करने वनोपज जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल को अपनाना	3 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.1.6	वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.1.7	विशिष्ट वनोपज वाले दस क्षेत्रों को चिन्हित कर घोषित करना और इन क्षेत्रों में वन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करना	2 वर्ष	वन विभाग	1. वन विभाग द्वारा विशिष्ट उत्पादों को चिन्हित करना 2. IP&IP विभाग राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु ऐसे उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनियों से संपर्क कर उत्पादों के विपणन एवं निवेश को आकर्षित करेगा
3.1.8	फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में आयातित लकड़ी के ट्रांजिट परमिट को हटाना	6 माह	वन विभाग	लागू नहीं

3.2	**वन संपदा का संवहनीय उपयोग**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
3.2.1	गतिशील "ग्रीन प्लेटफॉर्म" की स्थापना, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रणाली (GIS) आधारित होगा और पर्यावरणीय मापदंडों के 100 से अधिक भू–स्थानिक आंकड़ों का उपयोग कर वर्तमान स्थिति एवं स्रोत की जानकारी देगा	2 वर्ष	पर्यावरण विभाग	लागू नहीं
3.2.2	निम्न गुणवत्ता वाले वन क्षेत्रों में व्यावसायिक वृक्षारोपण हेतु निजी निवेश के लिये उपभोक्ता अधिकारों संबंधी नीति बनाना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.2.3	जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सहयोग, वैज्ञानिक और नीति अनुसंधान समन्वय, एवं क्षमता वर्धन हेतु सेन्टर फॉर क्लाईमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट(Center for Climate Change and Sustainable Development) को सशक्त बनाना	2 वर्ष	पर्यावरण विभाग	लागू नहीं
3.2.4	पर्यावरण निगरानी, हस्तक्षेप, निवेश के समन्वय एवं पर्यावरण/प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता हेतु राज्य स्तरीय परिषद की स्थापना	2 वर्ष	पर्यावरण विभाग	लागू नहीं
3.2.5	फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली चिन्हित प्रजातियों के संवहनीय शिकार को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देश जारी करना	6 माह	वन विभाग	लागू नहीं
3.2.6	मौजूदा वन्यजीवों में विविधता को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में उपयुक्त हैबिटेट में चीता को लाना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं

3.2.7	बाघों का घनत्व बढ़ाने और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये बाघों को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों जैसे– सतपुड़ा, संजय राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही, और गांधी सागर में स्थानांतरण करना	1 वर्ष	वन विभाग	1. टाइगर के लिये बाड़े की स्थापना 2. स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना 3. लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था करना
3.2.8	म.प्र. में बाघों को बढ़ावा देने और 'बाघ राज्य' की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिये बाघों के गलियारे विकसित करना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
3.2.9	वन और वनवासियों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 5000 माइक्रोप्लान तैयार करना	2 वर्ष	वन विभाग	प्रथम चरण में 500 माइक्रो–प्लान शुरू करना
3.2.10	लघु वनोपज (Minor Forest Produces (MFPs) के न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्तिसंगत बनाना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में अधिक प्रजातियों को शामिल करना	6 माह	वन विभाग	14 MFPs के न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्तिसंगत बनाया गया है। अन्य 18 MFPs के युक्तिकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करना
3.2.11	वनों के बाहर वृक्ष–आवरण बढ़ाने हेतु शासकीय गैर–वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिये एलओई Land Owning Entity (LOE), प्रदेश सरकार और सार्वजनिक या निजी संगठन (कार्यकारी एजेंसी) के बीच त्रिपक्षीय समझौते करना	2 वर्ष	वन विभाग	वर्किंग मॉडल के प्रस्ताव को तैयार कर भारत सरकार को भेजा जायेगा
3.2.12	अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये लघु वनोपज की ब्रांडिंग करना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं

3.3	**खनिज संपदाओं का वैज्ञानिक दोहन कर रोज़गार प्रदान करना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
3.3.1	31 प्रमुख खनिजों की नीलामी के लिये नई लघु खनिज नीति	1 वर्ष	खनिज विभाग	मध्यप्रदेश लघु खनिज नियमावली 1996 में संशोधन
3.3.2	नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बैतूल, छतरपुर एवं अन्य जिलों में दुर्लभ धातुओं की खोज करना	3 वर्ष	खनिज विभाग	भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की संभावना हेतु सर्वेक्षण और अन्वेषण
3.3.3	खानों में डेड रेंट (dead rent) का युक्तिकरण	1 वर्ष	खनिज विभाग	जनवरी–2020 में लघु खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया। आगे के बदलावों के लिये बेंचमार्किंग की जायेगी
3.3.4	समस्त भू–अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना	2 वर्ष	वन विभाग	1. वेब पोर्टल का शुभारंभ 2. आरक्षित वन और संरक्षित वन से दूरी का प्रमाण पत्र प्रदान करना 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वेब पोर्टल के माध्यम से इको–सेंसिटिव जोन में नहीं आने वाली भूमि प्रदान करना।
3.3.5	महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का वार्षिक–कैलेंडर प्रकाशित करना	1 वर्ष	खनिज विभाग	खनिज ब्लॉक की पहचान तथा नीलामी के लिये नोटिस का प्रकाशन
3.3.6	महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनर्मूल्यांकन	1 वर्ष	खनिज विभाग	जनवरी–2020 में लघु खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया। आगे के बदलावों के लिये बेंचमार्किंग की जायेगी
3.3.7	महत्वपूर्ण खनिजों वाली निष्क्रिय–खानों का पुनः संचालन	1 वर्ष	खनिज विभाग	भारत सरकार के खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के प्रावधानों तहत निष्क्रिय खानों का पुनः संचालन करना

3.3.8	कोयला खानों को खनन सेवाओं हेतु निजी क्षेत्रों को आवंटित करना	1 वर्ष	खनिज विभाग	भारत सरकार द्वारा कोल ब्लॉक का आवंटन। खनिज रियायत नियम 1960 (भारत सरकार द्वारा निर्धारित) के तहत राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायत आवेदनों की प्रोसेसिंग
3.3.9	जिला खनिज निधि में लघु–खनिजों का समावेश	1 वर्ष	खनिज विभाग	मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम 1996 और मध्य प्रदेश जिला खनिज निधि नियम 2016 में संशोधन
3.3.10	M-Sand को प्रोत्साहन	1 वर्ष	खनिज विभाग	मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम 1996 में संशोधन

4. व्यापार एवं वाणिज्य

4.1	**व्यापार एवं वाणिज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
4.1.1	प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों में निवेश तथा निर्यात का प्रतिस्पर्धी विश्लेषण	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. वर्ष 2025 तक राज्य से निर्यात में 25% की वृद्धि करने हेतु आई.सी.डी. (ICD) की स्थापना 2. विकास दर का अनुमान आउटपुट डिज़ाइन चरण के दौरान किया जायेगा
4.1.2	प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) में एकीकरण हेतु टास्कफोर्स का गठन	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. राज्य के फोकस क्षेत्रों की वैश्विक मूल्य श्रृंखला का आंकलन किया जायेगा, और स्कोपिंग अध्ययन उपरान्त 60 दिवस में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा

4.1.3	दवा, कृषि और खाद्य उत्पादों जैसे विशेष क्षेत्रों में निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु नीति तैयार करना	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. फोकस क्षेत्रों से वर्ष 2025 तक 25 प्रतिशत तक निर्यात बढ़ाया जायेगा 2. विकास दर का अनुमान आउटपुट डिज़ाइन चरण के दौरान किया जायेगा
4.1.4	ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास करना, जिन क्षेत्रों में राज्य आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी है	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. निवेशकों को राज्य की नीतियों से अवगत कराने एवं विशिष्ट क्षेत्रों के मुद्दों को निवेशकों के दृष्टिकोण से समझने हेतु–निवेशक आउटरीच कार्यक्रम चलाया जायेगा 2.चिन्हित परियोजनाओं की संख्या जिनके मुद्दों को हल करने एवं निवेश को सुगम बनाने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परियोजना विकास प्रकोष्ठों (PDC) से समन्वय स्थापित किया जायेगा
4.1.5	देश–विशिष्ट निर्यात प्रोत्साहन हब स्थापित करने हेतु "निर्यात संवर्धन जोन" और "निर्यात उन्मुख इकाइयों" से संबंधित नीतियों का पुनः निर्धारण	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. वर्तमान IPP निर्यात–उन्मुख इकाइयों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है 2. विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर निर्यात–उन्मुख इकाइयों, निर्यात हब, एफटीडब्ल्यूज़ेड Free Trade and Warehousing Zones-FTWZ को आकर्षित करने हेतु अवसरों का पता लगाया जायेगा
4.1.6	म.प्र. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. MPIDC निर्यात की नोडल एजेंसी है। दिशा–निर्देशों अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जायेगी

4.1.7	व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में सहयोग हेतु अन्य देशों के तीन चुनिंदा राज्यों के बीच 'राज्य से राज्य भागीदारी' के तहत समझौते (MoU) करना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	व्यापार, पर्यटन और कौशल विकास हेतु रणनीतिक पहलों की खोज की जायेगी। मुख्य लक्ष्य: 1. कौशल विकास विभाग के सहयोग से राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु 1 विदेशी संस्थान (सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल के समान) का निर्माण करना 2. अगले 5 वर्षों में पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि लाना
4.1.8	उद्योगों और व्यवसायों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय करने हेतु प्रदर्शन माप प्रणाली स्थापित करना	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	निम्नलिखित बिंदुओं पर उद्योगों से परामर्श लिया जायेगा– 1. विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के मानदंड और मापदंडों (निर्यात सहित) को चिन्हित करना 2. पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल तय करना 3. उद्योग और उद्योग संघ का प्रतिनिधित्व
4.1.9	औद्योगिक उत्पादों का मानकीकरण (Standardization) एवं सूचीबद्ध (Cataloging)	3 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	1. खाद्य विभाग के साथ परामर्श शुरू किया जायेगा 2. मानक उत्पादों के लिए Bureau of Indian Standards (BIS) जैसी एजेंसियों के साथ संपर्क शुरू किया जायेगा। 3. कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जायेगी

4.1.10	निर्यातकों को अन्य देशों के निर्यात संबंधित नियमों और अवसरों से सूचित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का विकास	3 वर्ष	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1. कार्यक्षमताओं को शामिल करने के लिए INVEST पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा 2. पोर्टल निर्यातकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा– पंजीकरण की ट्रैकिंग, निर्यात राशि, विदेशी मुद्रा आदि
4.1.11	देश के एक बंदरगाह से प्रदेश के उत्पादों के निर्यात के लिये दीर्घकालिक MOU एवं निर्यात संभावनाओं के दोहन हेतु सभी ICD को लिंक करना	3 वर्ष	वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	1. राज्य से निर्यात को बढ़ाने हेतु बंदरगाहों से अनुबंध एवं अवसरों का पता लगाया जायेगा
4.1.12	राज्य में व्यापार मेलों और निर्यात संबंधित क्षेत्रों के लिये एक व्यापक कार्य योजना	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य तय किये जायेंगे
4.1.13	जिला स्तरीय व्यापार प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट एनसीएईआर मॉडल (National Council of Applied Economic Research –NCAER Model) का उपयोग कर उत्पादों को बढ़ावा देना	2 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	लागू नहीं

4.2	**छोटे व्यवसायों तथा परंपरागत उद्योगों के उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफार्म (e-Commerce Platform) से जोड़ना**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
4.2.1	राज्य को ई–कॉमर्स कंपनियों के लॉजिस्टिक हब बनाने संबंधी सुझाव देने हेतु टास्क फोर्स का गठन	6 माह	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	हितधारकों से परामर्श किया जायेगा

4.2.2	ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृगनयनी, कबीरा, विंध्यावैली और प्राकृत के उत्पादों की ऑनलाइन विपणन व्यवस्था	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	निम्न संकेतक के आधार पर वेंडर का विकास किया जायेगा– ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृगनयनी की बेची गई कुल इकाइयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कबीरा की कुल बिक्री की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विंध्यावैली की बेची जाने वाली कुल इकाइयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राकृत की बिक्री की कुल इकाइयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि
4.2.3	स्व–सहायता समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन विपणन व्यवस्था के लिये ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म	2 वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग	लागू नहीं
4.2.4	स्व–सहायता समूहों के उत्पादों के लिये राज्य स्तरीय विपणन महासंघ का गठन	2 वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग	लागू नहीं
4.2.5	राज्य में 'पेटेंट पूल और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष' का विकास, जिसके माध्यम से उद्योग रॉयल्टी भुगतान कर पेटेंट ले सकें	3 वर्ष	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	लागू नहीं
4.2.6	राज्य के सभी आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवसाय से संबंधित सूचना परामर्श	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास	
4.2.7	ई–कॉमर्स, डिजिटल कैटलॉग और ऑनलाइन मार्केटिंग पर विशेष कौशल विकास मॉड्यूल एवं कार्यक्रम	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास	

4.2.8	मृगनयनी उत्पादों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के हेतु शिल्प–चिह्न हासिल किया जायेगा	1 वर्ष	कुटीर उद्योग विभाग	प्रदेश के 25 शिल्पकार जिनका कारोबार 4 लाख से अधिक का है को शिल्प चिह्न प्राप्त करने हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा
4.2.9	विंध्यावैली के उत्पादों की बिक्री हेतु संगठित रिटेल चेन के साथ टाई–अप किया जायेगा	1 वर्ष	कुटीर उद्योग विभाग	1. प्रियदर्शनी, आपूर्ति, बेस्ट प्राइस, डी–मार्ट, रिलायंस फ्रेश और ऑनडोर जैसे रिटेल चेन में से 3 रिटेल चेन के साथ अनुबंध किया जायेगा
4.2.10	08 नवीन मृगनयनी रिटेल तथा 02 नवीन खादी कबीरा के उत्पादन केन्द्र स्थापित करना	1 वर्ष	कुटीर उद्योग विभाग	1. शासकीय रियल एस्टेट में स्थान उपलब्धता के आधार पर नागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी, जम्मू, कश्मीर, शिमला, शिलांग, गुवाहाटी और भोपाल (सतपुड़ा और विंध्याचल) में हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (HSVN) द्वारा नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाएंगे। 2. KVIB द्वारा देवास और इंदौर में उत्पादन केंद्र स्थापित किये जायेंगे
4.2.11	ग्रामोद्योग के लिये ऑनलाइन इंटरफेस का विकास जो ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं	1 वर्ष	कुटीर उद्योग विभाग	1. HSVN, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) और MPSF के लिये 3 समर्पित ई–कॉमर्स वेबसाइट 2. HSVN, KVIB और M.P. Silk Federation (MPSF) के लिये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट हैं 3. ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ अनुबंध –HSVN, KVIB और MPSF के लिये AMAZON और FLIPKART

4.3	**व्यापार सहायक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण**	**समय सीमा**	**नोडल विभाग**	**सूचक**
4.3.1	भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने "Rozgar Setu" पोर्टल से प्रेरित होकर "Unnati" और "Rozgar Bazaar" पोर्टल लॉन्च किया है। रोज़गार सेतु प्लेटफार्म का विस्तार कर बेरोज़गार युवाओं की कौशल मैपिंग कर नियोक्ताओं से जोड़ना	1 वर्ष	श्रम विभाग	लागू नहीं
4.3.2	स्थानीय विशेषज्ञों के पूल को विकसित करना, जो युवाओं के संरक्षक के रूप में कार्य कर सकें	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास	1. कार्यकारी आदेश और दिशानिर्देश 2. अपने संबंधित जिलों में उपलब्ध स्थानीय विशेषज्ञों के उपयोग हेतु संस्थान स्तर की टीमों का गठन करें 3. उन उद्यमियों की पहचान करना जो संरक्षक के रूप में भूमिका निभा सकें 4. उपलब्ध संसाधन पूल का उपयोग करने की रणनीति जैसे– क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, अटल टिंकरिंग लैब आदि
4.3.3	राष्ट्रीय निर्माण अकादमी हैदराबाद जैसे राष्ट्रीय संस्थान की साझेदारी से निर्माण संबंधी कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास	

4.3.4	उत्पादों के विकास में अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु व्यावसायिक संस्थानों के साथ भागीदारी	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास	1. अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये व्यावसायिक संस्थानों / उद्योगों को चिन्हित करना 2. सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी विभागों में उत्पाद विकास सेल का निर्माण 3. आईटीआई स्तर पर नवाचारों का दस्तावेजीकरण 4. संस्थानों / उद्योगों के साथ साझेदारी के लिये मॉडल अनुबंध
4.3.5	फिनटेक आधारित वित्तीय सेवाओं, माइक्रोफाइनेंस सेवाओं, और एन.बी.एफ.सी. सेवाओं को बढ़ावा देना	3 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	MSME को फिनटेक प्लेटफार्मों जैसे Peer to Peer (P2P)लैन्डिंग से जोड़ना
4.3.6	व्यापार सहायता सेवा प्रदाय में गैप की पहचान करने हेतु 'केंद्रित उद्योगों के प्रतिनिधियों के पैनल' का गठन	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. पैनल का गठन किया जायेगा। उसके बाद कार्यान्वयन कार्यक्रम लॉन्च किए जायेंगे
4.3.7	व्यापार संघों/संगठनों के साथ व्यापार मेलों की संख्या में वृद्धि। व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रों का विस्तार	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य तय किए जायेंगे

विषयवार आगामी 30 दिनों में प्रारंभ किये जाने वाले कार्यों का विवरण

5 – विषयवार आगामी 30 दिनों में प्रारंभ किये जाने वाले कार्यों का विवरण

सामान्य :

प्रत्येक आयोजित वेबिनार में उप–समूहवार विषय–विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों द्वारा सेक्टर संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा की गई। तदोपरांत वेबिनार में हुई चर्चा एवं विचार–विमर्श के आधार पर उप–समूहवार संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे उप–समूह के लीडर द्वारा विषय के टीम लीडर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप–समूहों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर विषयवार 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के रोडमैप के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसाएं तैयार की गईं, जिनका प्रस्तुतिकरण विषय के टीम लीडर द्वारा वेबिनार के समापन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया।

विषयवार अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने के लिये राज्य शासन द्वारा मंत्री समूह का गठन किया गया। प्रत्येक सेक्टर के समूह लीडर द्वारा संबंधित मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं रोडमैप विकसित करने हेतु गहन विचार–विमर्श किया गया। तदोपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2020 को 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' हेतु चयनित चार विषयों हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। उक्त अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने की दृष्टि से अनुशंसाओं को संबंधित नोडल विभागों के साथ साझा किया गया तथा विभागों के मतानुसार ऐसी अनुशंसाएं जिनपर अगले 30 दिवस में कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव के समक्ष दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को किया गया।

1. भौतिक अधोसंरचना

1. सड़क

क्र.	गतिविधियां	प्रस्तावित वित्तपोषण	नियोजित तिथि (महीने में)
1.	प्रदेश के सभी टोल प्लाजा का कम्प्यूटरीकरण एवं फास्ट टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन	भारत सरकार	6
2.	सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा तकनीकी आधारित स्थिति का आंकलन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (Road Asset Management System – RAM) स्थापित किया जायेगा	ए.डी.बी	24
3.	उच्च यातायात सड़कों पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह	टोल	6
4.	लघु विकास, रखरखाव और 24 प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण	ओ.एम.टी	19
5.	राज्य राजमार्ग निधि में राजस्व धारा का प्रतिभूतिकरण	बैंक ऋण	24
6.	योजना बनाने और मुद्रीकरण के लिये विभिन्न स्थानों पर 200 राज्य सड़कों का वैज्ञानिक यातायात सर्वेक्षण किया जायेगा	एम.पी.आर.डी.सी.	12

2. यात्रा एवं पर्यटन

क्र.	कार्य	वर्तमान स्थिति
1.	वर्तमान कोविड–19 परिदृश्य के दौरान संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क आदि को सरकार के विचार के अनुसार कुछ समय के लिये स्थगित करना	संबंधित विभागों को पर्यटन विभाग से प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है
2.	पर्यटन स्थलों को सभी के लिये सुगम्य बनाना (विशेष रूप से दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये)	संस्था का चयन किया जा चुका है एवं मांडू, बाग, महेश्वर एवं ओंकारेश्वर में सुगम्यता अंकेक्षण हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है

3.	निजी क्षेत्र/निवेशकों को शामिल करके पर्यटन स्थलों का वैल्यू एडिशन–अनुभव आधारित पर्यटन (Experiential Tourism) – जैसे रोपवे, संग्रहालय, डायमंड टूर, साड़ी टूर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी पार्क, आदि के माध्यम से) करते हुए पर्यटकों को आकर्षित किया जायेगा	डायमंड टूर, साड़ी टूर हेतु टीम द्वारा भ्रमण कर जिला पुरातत्व एवं पर्यटन काउंसिल (DATC) लोकल ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर (TA/TO) के साथ योजना बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है
4.	पार्कों की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना	संस्था चयन हेतु EOI जारी कर दी गई है
5.	'बफर में सफ़र' मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना	• एक इनफ्यूएंसर को रोड ट्रिप में भेजा गया • सतपुड़ा –पेंच रूट को कवर किया एवं उसके द्वारा तैयार 7 पोस्ट को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा सोशल मीडिया पर री–पोस्ट किया गया • एम.पी.टी.बी. द्वारा 8 पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया • एक रेडियो जिंगल बनाकर एफ.एम. रेडियों के माध्यम से प्रचारित किया • पी.आर. एक्टिविटी की गई
6.	कोविड–19 के दौरान ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे का प्रचार करना	सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है
7.	पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले 20000 सेवा प्रदाताओं का कौशल संवर्धन	• 300 हितधारकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा सकेगा • प्रशिक्षण अंतर्गत उनको दिये जा रहे प्रशिक्षणों में COVID–19 से संबंधित मॉड्यूल सम्मिलित किया जाएगा
8.	हितधारकों का प्रशिक्षण	
9.	आतिथ्य क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं की स्वच्छता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना	
10.	कोविड–19 से सामना करने के लिये सभी हितधारकों के लिये एस.ओ.पी- (SOP) के विकास और प्रसार के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना	भारत सरकार से प्राप्त SOP सभी हितधारकों को प्रेषित की जा चुकी हैं व समय–समय पर उनसे चर्चा कर प्रश्नों का निराकरण किया जा रहा है

11.	छोटी अवधि एवं वीकेन्ड पैकेज के माध्यम से घरेलू (domestic) पर्यटन को बढ़ावा देना	इसके अंतर्गत 11 आइटनरी एवं एम.पी.एस. टी.डी.सी. द्वारा 16 वीकेन्ड पैकेज तैयार किये जाकर 400 ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर को भेजे गये हैं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है

3. नगरीय विकास एवं आवास

रणनीति 1: समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करना (एक्शन पॉइंट्स)	**30 सितम्बर 2020 तक की कार्ययोजना**
सभी शहरों में DAY&NULM का विस्तार	10 नये शहरों में विस्तार किया जायेगा
स्व–सहायता समूहों (SHG) से 1,50,000 गरीब परिवारों को जोड़ना	5000 हजार गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूहों (SHG) से जोड़ा जायेगा
5 लाख सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिया जायेगा और स्ट्रीट वेंडिंग क्षेत्रों का विकास किया जायेगा	PMSVANidhi के तहतएक लाख स्ट्रीट वेंडर्स को रु. 10,000 की कार्यशील पूंजी का ऋण दिया जायेगा।
378 शहरों में 3 लाख ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों की डिलीवरी	8,000 ईडब्ल्यूएस इकाइयों को लाभार्थियों को सौंप दिया जायेगा
30,000 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी	1,000 लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जायेगी
रणनीति 2: पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास सुनिश्चित करना (एक्शन पॉइंट्स)	**30 सितम्बर 2020 तक की कार्ययोजना**
सभी 378 शहरों के लिये ODF+ का स्टेट्स एवं इंदौर के लिये Water+ स्टेट्स	20 शहरों को ODF+ प्रमाणित किया जायेगा
10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में जन निजी भागीदारी से ई–व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं लोक परिवहन हेतु ई–व्हीकल का उपयोग	ई–वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिये भोपाल, इंदौर और जबलपुर द्वारा एनटीपीसी और आरईआईएल के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जायेंगे
रणनीति 3: कानूनी और राजकोषीय सुधारों के माध्यम से नगरीय शासन में सुधार	**30 सितंबर 2020 तक की कार्ययोजना**
प्रॉपर्टी टैक्स को मार्केट वैल्यू के साथ जोड़ा जायेगा और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस को पंजीकरण विभाग के साथ जोड़ा जायेगा	विधानसभा के समक्ष प्रस्तावित कानूनी संशोधन रखा जायेगा

सेवाओं की लागत वसूल करने के लिये उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जायेगा	नियमों की अधिसूचना जारी की जायेगी
राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान का संचालन	NIGUM के पुनरुद्धार के लिये संक्षेपिका को कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा
रणनीति 4: नगरीय सेवाओं की डिलीवरी में सुधार (एक्शन पॉइंट्स)	**30 सितम्बर 2020 तक की कार्ययोजना**
शेष 269 शहरों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जायेगा	8 नये शहरों में जीआईएस आधारित सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा
ऑनलाइन भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और लेआउट स्वीकृति (1 Lakh + शहर)	4 शहरों में ऑनलाइन लैंड यूज सर्टिफिकेट लॉन्च किया जायेगा
100 पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना एवं 50 शहरों के लिये आईसीटी सक्षम SCADA (Supervisory control and data acquisition) प्रणाली स्थापित करना	दो जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं (अमानगंज और मुंगौली) पूरी की जायेंगी

4. जल

4.1 पेयजल

100 प्रतिशत घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन कवरेज हेतु कार्ययोजना

क्र.	नियोजित पूर्णता तिथि	गतिविधियां (FHTC)
1.	30 सितम्बर 2020 तक का लक्ष्य	5.28 लाख (31 अगस्त 2020 में पूर्ण हुये)
2.	31 दिसम्बर 2020 तक का लक्ष्य	6.25 लाख
3.	31 मार्च 2021 तक का लक्ष्य	14.71 लाख

- **बाध्यताएं – सामुदायिक योगदान**
  - योजना की लागत में सार्वजनिक योगदान व्यवस्था में कठिनाई।
  - 15वें वित्त आयोग के द्वारा निर्देशित, ग्राम पंचायत को दी जाने वाली राशि को सामुदायिक योगदान के रूप में लेने की मंत्री समूह ने सिफारिश की है।

4.2 सिंचाई

जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

क्र.	गतिविधियां	नियोजित तिथि	ज़िम्मेदारी
1.	3 लाख हेक्टेयर भूमि तक खरीफ फसलों हेतु सिंचाई की उपलब्धता	30.09.2020	**एन.वी.डी.ए** – 0.75 लाख हेक्टेयर **डबल्यू.आर.डी**– 2.25 लाख हेक्टेयर
2.	60 परियोजनाओं के निर्माण के लिये निविदाएं आमंत्रित करना–(अनुमानित लागत रू 22300 करोड़, सीसीए 3.60 हे.)	30.09.2020	**एन.वी.डी.ए** – 10 प्रोजेक्टस रु. 22,000 करोड़, **सी.सी.ए** 3.45 लाख हेक्टेयर**डबल्यू.आर.डी** –50 प्रोजेक्टस, रु. 300 करोड़ **सी.सी.ए** 3.45 लाख हेक्टेयर **डबल्यू.आर.डी** –
3.	400 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण, बजट उधार के माध्यम से	30.09.2020	**एन.वी.डी.ए. अंर्तगत एन.बी.पी.सी.एल.**
4.	बरगी डायवर्सन परियोजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद सुरंग के पूरा होने के लिये परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिये WAPCOS को नामांकित करना	30.09.2020	**एन.वी.डी.ए.**

5. ऊर्जा

क्र.	गतिविधियां	उप–गतिविधि	प्रस्तावित वित्तपोषण	नियोजित तिथि	वर्तमान स्थिति
1	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण	प्रस्तावित नये निर्माणः 3 – 400 किलोवॉट के सब–स्टेशन 7 – 220 किलोवॉट के सब–स्टेशन 690 Ckt किमी 400 KV लाइन 1316 Ckt किमी 220 KVलाइन 1002 Ckt किमी 132 KV लाइन 9 – 132 KV अति. ट्रांसफॉर्मर 4 – 220 KV अति. ट्रांसफॉर्मर	NCEF, भारत सरकार से अनुदान (40%) KFW ऋण घटक (40%) GoMP शेयर (20%)	जून 2021	पूर्ण हो चुके कार्यः 1No. 400 KV सब–स्टेशन 6Nos. 220 KVसब–स्टेशन 50 Ckt km 400 KVLine 517 Ckt km 220 KVLine 487 Ckt km 132 KVLine
2.	TBCB माध्यम से बुनियादी ढांचा परिवर्धन	2 – 400 किलोवॉट सब–स्टेशन 2 – 220 किलोवॉट सब–स्टेशन	टैरिफ आधारित Competitive Bidding	अगस्त 2022	कार्य प्रगति पर है
3.	सामग्री एवं उपकरणों की खरीदी में लोकल निर्मित सामग्री को प्राथमिकता देना	मानक बोली दस्तावेजों में परिवर्तन	-	1 महीना	एक महीने के भीतर उपयुक्त निर्देश जारी किये जायेंगे

4.	डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरंतर रख–रखाव	मानक संचालन प्रक्रिया की तैयारी (एसओपी), अगले 12 महीनों के लिये गतिशील/फ्लेक्सी रखरखाव अनुसूची का गठन, वेब आधारित निगरानी प्रणाली का विकास	Discom's O&M Budget	2 महीने	एसओपी एवं अनुरक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है, वेब आधारित निगरानी प्रणाली का विकास प्रगति पर है
5.	सामग्री परीक्षण जैसे ट्रांसफॉर्मर, मीटर, केबल आदि के लिये इन–हाउस परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	10 परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापनाः ईस्ट डिस्कॉम में 5 लैब सेंट्रल डिस्कॉम में 3 लैब वेस्ट डिस्कॉम में 2 लैब	अपने स्वयं के फंडों से डिस्कॉम करेगा	एनएबीएल मान्यता – 2 महीने 7 और प्रयोगशालाओं का काम 6 महीने के भीतर शुरू किया जायेगा	3 परीक्षण प्रयोगशालाएं तैयार हैं (प्रत्येक डिस्कॉम में एक)
6.	रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन	45 मेगावॉट –CAPEX मॉडल	उपभोक्ता अंशदान 70% MNRE 30% अनुदान	एलओए इसी महीने जारी किया जायेगा। एलओए से 11 महीने में सीओडी जारी होगा	45 मेगावॉट के लिये रिवर्स बिडिंग पूर्ण हो गई है
7.	छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए RESCO कार्यक्रम का कार्यान्वयन	30 मेगावॉट –RESCO मॉडल	निजी अनुदान	दिसम्बर –2021	आरएफपी तैयार किया जा रहा है

8.	राज्य के किसानों के लिए सोलर पम्पों एवं 2 मेगावॉट तक के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना	3,490	RESCO मॉडल	अक्टूबर –2020	स्थापित किये जायेंगे

6. ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक

क्र.	गतिविधियां	उप–गतिविधि	प्रस्तावित वित्तपोषण	नियोजित पूर्णता	30 सितम्बर 2020 तक की कार्ययोजना
1.	मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना	तकनीकी–आर्थिक तथा व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिये सलाहकार नियुक्त करना	म.प्र वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	21.10.20	1. सलाहकार की नियुक्ति के लिये आरएफपी जारी करना 2. बैठक का संचालन
2.	इंदौर एयरपोर्ट पर पेरिशेबल गुड्स के लिये एयर–कार्गो हब की स्थापना	ईओआई आमंत्रित करना	म.प्र वेअरहॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	31.10.20	1. ईओआई आमंत्रित करना 2. बैठक का संचालन

2. सुशासन :

अनुशंसाओं से संबंधित बिंदु जिन पर आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्य आरम्भ किये जाने हैं

स.क्र.	अनुशंसा क्रमांक	अनुशंसा	चिन्हित बिन्दु / गतिविधियां	नोडल विभाग
1	1	नागरिकों के लिये एकल डेटाबेस (सिंगल सिटीजन डेटाबेस)	विभागों से समन्वय कर नागरिकों से संबंधित सूचनाओं की सूची तैयार करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
2	2	सेवा प्रदाय के लिये एकल पोर्टल	उन पोर्टलों की सूची बनाना जिनके माध्यम से लोक सेवायें प्रदाय की जा रही हैं	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3	3	सार्वजनिक सेवा के लिये एम–गवर्नेंस का उपयोग	विभागों से समन्वय कर उन पोर्टलों की सूची तैयार करना जहां चैट बॉट / मोबाइल एप से सेवायें प्रदाय की जा सकती हैं	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4	4	सीएम हेल्पलाइन से CM Citizen Care@ MP	प्रक्रिया का वर्कफ्लो तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना	लोक सेवा प्रबंधन विभाग
5	5	सेवा प्रदाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन	सेवाओं के प्रदाय हेतु विभिन्न विभागों द्वारा वांछित दस्तावेजों की सूची तैयार करना एवं उनका ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपलब्धता के अनुसार वर्गीकरण करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6	6	सेवाओं के भुगतान के लिये बहु–भुगतान प्रणाली का विकल्प	उन सेवाओं की सूची तैयार करना, जहां भुगतान प्राप्त किया जाता है एवं भुगतान के मोड की जानकारी	वित्त विभाग
7	7	राज्य भर में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और आईटी कौशल का विकास	कनेक्टिविटी विहीन ग्रामों की सूची एवं लोकेशन तैयार करना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

8	8	शासकीय कर्मियों को आई.टी. के उपयोग हेतु दक्ष बनाना	उन कर्मियों की सूची तैयार करना जिन्हें आई.टी. के उपयोग हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है	सामान्य प्रशासन विभाग
9	9	शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीक/तथ्यों के साथ अपडेट रखना	प्रदेश के लिये उपयोगी नवीनतम टेक्नोलॉजी, तथ्यों एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस की सूची तैयार करना	लोक सेवा प्रबंधन विभाग
10	10	वल्लभ भवन में ई–ऑफिस / केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था का क्रियान्वयन	ई–ऑफिस प्रणाली की अद्यतन स्थिति का आकलन करना	सामान्य प्रशासन विभाग
11	11	समस्त विभागों और जिला कलेक्टरों के प्रभावी उपयोग के लिये डैशबोर्ड विकसित किया जाना	विभागीय सेवाओं के लिये के.पी.आई.(KPI) की पहचान/डिज़ाइनिंग	लोक सेवा प्रबंधन विभाग
12	13	इमर्जिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र	1. विभिन्न विभागों की आवश्यकता का आंकलन 2. यूज़ केसेस की पहचान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
13	14	शासन में बेहतर पारदर्शिता	1. रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं डाटा शुद्धता के संबंध में निर्देश जारी करना। 2. बेस्ट प्रेक्टिसेस, केस स्टडीज, नवाचार संकलन हेतु निर्देश जारी करना।	सामान्य प्रशासन विभाग
14	15	जवाबदेह एवं जिम्मेदार प्रशासन	इम्पैक्ट डैशबोर्ड हेतु इनपुट एवं आउटपुट संकेतकों की पहचान।	सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त विभाग
15	18	नागरिकों के लिये Ease of Living	विभागों में अधिकारों /शक्तियों के प्रत्यायोजन (Deligation of Powers) हेतु निर्देश जारी करना।	सामान्य प्रशासन विभाग

16	19	व्यापक कैडर समीक्षा	जानकारी संकलन हेतु निर्देश जारी करना।	सामान्य प्रशासन विभाग
17	20 एवं 21	सभी कर्मियों का HRMIS में मैपिंग तथा आवश्यकता एवं सक्षमता का आंकलन	विभागों की आवश्यकता एवं कर्मियों की सक्षमता के आंकलन हेतु निर्देश जारी करना ।	सामान्य प्रशासन विभाग

3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा :

स्वास्थ्य एवं शिक्षा समूह ने निर्धारित परिणामों के संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 16 परिणाम संकेतक और 97 अलग–अलग आउटपुट संकेतकों की पहचान की जिसमें से 31 संकेतक ऐसे हैं जिनका संबंध सभी विभागों से है।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभागों ने 48 आउटपुट संकेतकों की पहचान की है, जिनपर अगले 30 दिनों में ठोस परिणाम प्राप्त करने का काम शुरू होगा। निम्न आउटपुट संकेतकों पर अगले 30 दिनों में काम शुरू किया जायेगा :

क्र.	**विभाग का नाम**	**चिन्हित किये गये कुल आउटपुट संकेतकों की संख्या**	**आउटपुट संकेतकों की संख्या, जिनपर अगले 30 दिनों में काम शुरू होगा**
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	37	13
2	चिकित्सा शिक्षा विभाग	16	5
3	आयुष विभाग	8	3
4	उच्च शिक्षा विभाग	20	8
5	स्कूल शिक्षा विभाग	25	8
6	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग	27	11
	कुल	**101 (31 विभिन्न विभागों के आपस में संबद्ध आउटपुट संकेतक)**	**48**

विभागवार आउटपुट संकेतक जिन पर अगले 30 दिनों में काम शुरू किया जायेगा, निम्नानुसार है:–

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :

स.क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	1.1	सभी जिलों में आयुष्मान भारत के विस्तार और नामांकन में 25% की वृद्धि	दिसम्बर 2021
2	1.3	व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिये 10,000 SHCs और 1200 PHCs को हेल्थ वेलनेस केन्द्रों में परिवर्तित करना (PoC डायग्नोस्टिक सहित)	दिसम्बर 2022
3	1.4	1200 PHC (HWC) में 282 आवश्यक दवाओं और 63 नैदानिक परीक्षणों और 10,000 एस.एच.सी. (HWC) में 149 आवश्यक दवाएं और 14 नैदानिक परीक्षणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2022
4	2.1	राज्य में 1,600 अत्याधुनिक प्रसव केन्द्रों की स्थापना और हर सी.एच.सी. पर विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (SNCU) की स्थापना	दिसम्बर 2022
5	2.2	RCH पोर्टल के माध्यम से राज्य में सालाना पंजीकृत 12 लाख गर्भवती महिलाओं को पूर्ण ANC सेवाओं का शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2023
6	2.3	RCH पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के परिवारों की पात्र 7.2 लाख गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के तहत 2 अलग–अलग किश्तों में 16,000/– रुपये सशर्त नगदी हस्तांतरण का लाभ सुनिश्चित करना	दिसम्बर 2023
7	2.4	राज्य के पांच वर्ष से कम उम्र के 55 लाख बच्चों का प्रति वर्ष पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना	दिसम्बर 2023
8	2.7	टी.बी. उन्मूलन की दिशा में काम करना	दिसम्बर 2024
9	3.6	सभी 51 जिला अस्पतालों में रेफरल को कम करने के लिये पूरी तरह कार्यात्मक आई.सी.यू. वार्ड, एच.डी.यू.वार्ड, आईसोलेशन वार्ड, डायग्नोस्टिक्स सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराना	दिसम्बर 2021

10	5.1	1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ परामर्श के लिये टेलिमेडिसिन और अन्य ICT उपकरणों का उपयोग करना	मार्च 2022
11	6.3	अस्पताल प्रबंधकों के कैडर का निर्माण	जून 2021
12	8.1	स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये व्यापक स्वास्थ्य संचार रणनीति तैयार करना	दिसम्बर 2021
13	12.1	सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP mode) से 100 बिस्तरों से ऊपर वाले सभी जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में high-end diagnostic lab की सेवाएं और 500 बिस्तरों से ऊपर वाले अस्पतालों में इमेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराना	दिसम्बर 2022

चिकित्सा शिक्षा विभाग

सं. क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	3.3	सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	दिसम्बर 2023
2	4.3	HWCs, CHCs तथा जिला चिकित्सालयों का उनके क्षेत्रों में आने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ मैपिंग करना ताकि इन केन्द्रों से मेडिकल कॉलेज में रेफरल सेवाएं तथा इन केन्द्रों को मेडिकल कॉलेज से परामर्श और पर्यवेक्षण प्राप्त हो	दिसम्बर 2022
3	5.5	प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं बायोमेडिकल के क्षेत्र में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस तथा डिज़ीटल तकनीकी के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI पर काम करने वाली संस्था के साथ MoU संपादित करना	दिसंबर 2022
4	7.2	राज्य स्तरीय अनुसंधान संगठन की स्थापना और उपचार एवं नैदानिक प्रोटोकॉल के मानकीकरण के लिये अनुसंधान और विकास पर जोर	दिसम्बर 2021
5	16.1	15 HEIs तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अन्य चयनित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	दिसम्बर 2022

आयुष विभाग

सं. क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	3.4	स्थापित आयुर्वेद और यूनानी फार्मेसियों का उन्नयन	दिसम्बर 2021
2	8.2	निवारक देखभाल के लिये आयुष चिकित्सा पर जोर	दिसम्बर 2021
3	13.1	मानक उपचार प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण के बाद 350 खाली पीएचसी में आयुष चिकित्सा अधिकारियों का AMO के रूप में उपयोग	दिसम्बर 2021

उच्च शिक्षा विभाग

सं. क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	4.8	कॉलेजों की जनभागीदारी समिति व्यवस्था को फिर से देखना	दिसम्बर 2021
2	5.12	200 शासकीय कॉलेजों में वर्चुअल लर्निंग सुविधा और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करना, शैक्षिक संसाधनों और अभिलेखों के संधारण हेतु एक उच्च शैक्षिक डिजिटल रिपॉजिटरी (HEDR) की स्थापना करना	दिसम्बर 2021
3	5.14	निदेशालय एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के लिए एकीकृत पोर्टल का विकास	दिसम्बर 2021
4	6.7	शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य की नीति तैयार करना तथा प्रशिक्षण के लिए मिश्रित प्रादर्श (Blended model) तैयार करना, इसके साथ–साथ शिक्षकों के पूरे पेशेवर जीवन चक्र के लिए AI आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण करना	दिसम्बर 2020

5	9.3	50 कॉलेजों के लिए NAAC "A" ग्रेड और 20 कॉलेजों के लिए A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रयास एवं NIRF में पहले 100 संस्थानों में HEIs की चयन के लिये प्रयास	दिसम्बर 2023
6	11.3	हब और स्पोक मॉडल पर इंजीनियरिंग तथा जिला स्तर के ITIs में कॅरियर तथा प्लेसमेंट सेल की स्थापना करना और 200 कॉलेजों में प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल की स्थापना करना	सितम्बर 2021
7	14.4	उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच बढ़ाने के लिये 150 नए ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) केंद्र खोलना	जून 2021
8	16.3	चिन्हित किये गये 150 कॉलेजों को क्वालिटी लर्निंग सेंटर (QLC) में परिवर्तित करना	दिसम्बर 2023

स्कूल शिक्षा विभाग

सं.क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	3.8	शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs), राज्य शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संस्थान (ईएलटीआई), तकनीकी शिक्षा के 07 कॉलेज और शिक्षा में उच्च अध्ययन के 2 संस्थानों का सशक्तिकरण	दिसम्बर 2023
2	3.11	10,000 संसाधन संपन्न स्कूलों की स्थापना	दिसम्बर 2024
3	6.7	शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य की नीति तैयार करना तथा प्रशिक्षण के लिये मिश्रित प्रादर्श (Blended model) तैयार करना, इसके साथ–साथ शिक्षकों के पूरे पेशेवर जीवन चक्र के लिये AI आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण करना	दिसम्बर 2020

4	10.2	कक्षा 1 और 2 के लिये मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ाना एवं भाषा और गणित में कक्षा 1 और 2 के लिये मापने योग्य सीखने के परिणामों को परिभाषित करना	दिसम्बर 2023 एफ.एल.एन. दिशा निर्देश प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर
5	10.3	विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित (STEAM) आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना	मार्च 2021
6	10.6	प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिये विशेष योजना– ''प्रखर'' आरंभ करना	मार्च 2021
7	10.7	ज्ञान के आदान–प्रदान के लिये 25 HEIs और तकनीकी संस्थानों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी	दिसम्बर 2021
8	13.3	कम नामांकन और कम गुणवत्ता वाले स्कूलों का बड़े संसाधन संपन्न स्कूलों में विलय तथा स्कूल तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने के लिये परिवहन की व्यवस्था करना	दिसम्बर 2023

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार विभाग

सं.क्र.	आउटपुट क्र.	आउटपुट संकेतक	समय–सीमा
1	4.5	विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित (STEAM) शिक्षा को बढ़ावा देने एवं नीति निर्माण के कार्य हेतु स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करना	सितम्बर 2021
2	4.6	उन विभागों के लिये एक अभिसरण प्रमाणन ढांचे का विकास जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं	जनवरी 2021
3	6.8	प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन तथा शिक्षकों और आईटीआई कर्मचारियों की डिजिटल योग्यता में वृद्धि करना	सितम्बर 2021
4	11.3	हब और स्पोक मॉडल पर इंजीनियरिंग तथा जिला स्तर के ITIs में कॅरियर तथा प्लेसमेंट सेल की स्थापना करना और 200 कॉलेजों में प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल की स्थापना करना	सितम्बर 2021

5	11.4	आईटीआई में मौजूदा 10 सबसे लोकप्रिय ट्रेडों को उद्योग की मांग से जोड़ना	जुलाई 2021
6	14.1	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में छात्राओं का अनुपात 35% तक बढ़ाना	दिसम्बर 2021
7	14.2	तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में (TVET) 5000 स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र–छात्राओं की काउंसलिंग	मार्च 2021
8	14.3	प्रदेश में 'आई.टी.आई. चले हम' अभियान चलाकर लोगों तक इस संदेश को पहुँचाना	जुलाई 2021
9	15.1	उद्योगों के साथ परामर्श करके पाठ्यक्रमों में Industry 4.0 कोर्सेस, जैसे–IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा आदि का समावेश करना	दिसम्बर 2021
10	15.2	ग्लोबल स्किल पार्क और 10 मेगा आईटीआई के लिये उद्योगों के साथ भागीदारी	दिसम्बर 2022
11	16.2	परिणाम आधारित शिक्षण और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिये उद्योगों से प्राप्त इनपुट के आधार पर UG, PG और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेस में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण	दिसम्बर 2022

4. अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार :

30 दिवसीय कार्य योजना					
क्र.	**विषय**	**आउटपुट**	**समय–सीमा**	**नोडल विभाग**	**कार्य योजना**
1.1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	प्रत्येक कृषि विकास केन्द्र जिले के लिये उपयुक्त चार फसलों पर जोर देगा एवं इन फसलों के लिये विशेष केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा	3 वर्ष	कृषि विभाग	कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रतिशत जिसने जिले के लिये उपयुक्त चार फसलों को शामिल कर लिया है

1.2	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	टास्कफोर्स का गठन जो कृषि गांरटी ट्रस्ट के गठन के संबंध में सलाह दे ताकि फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर फसल बीमा तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC)के स्थान राहत राशि प्रदान मॉडल पर विचार कर अनुशंसा प्रदान करें	6 माह	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.3	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	मृदा हेतु एक क्रियाशील फाइटोसैनिट्री – लैब कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाई जायेगी	1 वर्ष	कृषि विभाग	कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में फाइटो–सैनिट्री प्रयोगशाला की स्थापना
1.4	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	सभी 10 संभाग मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी	2 वर्ष	कृषि विभाग	सभी संभागीय मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
1.5	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	मण्डी नियमों एवं मण्डी एक्ट में संशोधन एवं प्रभावी कार्यान्वयन	6 माह	कृषि विभाग	लागू नहीं
1.6	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	एक जिला एक उत्पाद के तहत खेती क्षेत्र के करीब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने हेतु क्लस्टर चिन्हित करना। बाजार लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. जिलों का बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया। 2.एक जिला एक उत्पाद के आधार पर फसल क्लस्टर की पहचान करना प्रगतिरत 3. क्लस्टरों की सूची को 30/09/2020 तक अंतिम रूप देना

1.7	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	मौजूदा वीर्य भण्डार केन्द्रों को मजबूत करना और नये वीर्य भण्डार स्टोर स्थापित कर जमे वीर्य का स्टॉक बढ़ाना (45 लाख प्रतिवर्ष)	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. नया वीर्य स्टेशन दतिया में खुलेगा। 2. 2020–21 में 25.00 लाख फ्रोजन वीर्य स्ट्रॉका उत्पादन करेंगे, 2021–22 में 32.00 लाख डोज़ और 2022–23 में 45 लाख वीर्य डोज़
1.8	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. लक्षित गांवों को INAPH पोर्टल में दर्ज किया जायेगा। 2. किसानों के बीच जागरूकता अभियान जैसे दीवार पेंटिंग आदि 3. इसके तहत किया गया कृत्रिम गर्भाधान सितम्बर से INAPH पोर्टल में दर्ज किया जायेगा 4. INAPH पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटरिंग 5. 3100 निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को 31 मार्च 2023 तक प्रशिक्षित किया जाएगा
1.9	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	"नॉलेज पोर्टल"और "युवा–संवाद" के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. नॉलेज पोर्टल सितम्बर में शुरू होगा। 2. युवा–संवाद को वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से सितम्बर में शुरू किया जाएगा
1.10	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	मिशन मोड में अनुत्पादक सांडों का बधियाकरण करना (प्रथम वर्ष 12 लाख, द्वितीय वर्ष 8 लाख, तृतीय वर्ष 6 लाख)	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. गौशालाओं में अनुत्पादक सांडों का बधियाकरण सितम्बर में पूरा हो जायेगा 2. वार्षिक विस्तृत योजना (संस्थानवार, ग्रामवार, तिथिवार)

1.11	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	पायलट के आधार पर बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत	2 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. सिवनी/उज्जैन जिले से कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत (सितम्बर)
1.12	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	800 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करना	3 वर्ष	पशुपालन विभाग	1. दुग्ध सहकारी समितियों के 75 पंजीयन फार्म सितम्बर में पंजीयन के लिए जिला पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किए जायेंगे
1.13	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	20,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना और शहद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के लिए सहायता राशि प्रदान करना	3 वर्ष	उद्यानिकी विभाग	1. मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी पालन उपकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर MIDH योजना के तहत किसानों के लिये लक्ष्य (50 नग) जारी किये गये
2.1	उद्योग एवं कौशल विकास	प्रत्येक जिले के लिये एक औद्योगिक / पारंपरिक उपज की पहचान करना और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को तैयार करना और निष्पादित करना जिले में उत्पादन और उत्पाद को देशव्यापी ब्रांडिंग	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक/पारंपरिक/ विशेषता उत्पाद/सेवा की पहचान की जायेगी अगला कदम: 1. जिला–आधारित विशेषता की पहचान, कर विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करना 2. कार्यान्वयन योजना को निष्पादित करने के लिये कंसलटेंट की नियुक्ति की जायेगी

2.2	उद्योग एवं कौशल विकास	रक्षा क्षेत्र, रसायनिक उद्योग, चमड़े एवं गैर चमड़ा उद्योग, बैटरी भण्डारण, परिधान और वस्त्र आदि के लिये नये औद्योगिक क्लस्टर को चिन्हित कर विकसित करना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग (DIP&IP)	1. DIP&IP ने 19 ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों की प्रारंभिक योजना बनाई है 2. उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों के लिये समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया जायेगा। अगला कदम: 1. MPIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिये आदेश जारी किया जायेगा
2.3	उद्योग एवं कौशल विकास	चंबल प्रोग्रेस–वे और नर्मदा एक्सप्रेस–वे की निकटता वाले क्षेत्र में विशेष रूप से MSME के लिये विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना तैयार करना	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	चंबल प्रोग्रेसवे: 1. क्षेत्र की निवेश क्षमता का आंकलन करने के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं 2. बोली–पूर्व की औपचारिकताएं पूर्ण हैं। 3. कंसलटेंट की नियुक्ति अगले 30 दिनों में पूरी हो जायेगी अगला कदम: 1. विस्तृत भूमि सर्वेक्षण कर उन भूमि पार्सल की पहचान करने पर विचार किया जाएगा जहां औद्योगिक नोड विकसित किये जायेंगे

2.4	उद्योग एवं कौशल विकास	औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिये भूमि–पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जायेगा	2 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. पीथमपुर सेक्टर 4 और 5 के लिये भूमि पूलिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी 2. शासकीय अनुमोदन प्राप्त अगला कदमः 1. किसानों से सहमति प्राप्त, अगले महीने तक मुआवजा वितरण शुरू हो जायेगा
2.5	उद्योग एवं कौशल विकास	मध्यप्रदेश की निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तीन नए इनलैंड कंटेनर डिपो (ILD) स्थापित किये जायेंगे	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. तीन नए आई.सी.डी. स्थापित करने के लिये स्थानों की पहचान करने के लिये मूल्यांकन/ विश्लेषण किया जायेगा अगला कदमः 1. मूल्यांकन अध्ययन के आधारपर, स्थानों को अंतिम रूप दिया जायेगा और तदनुसार यातायात आवश्यकताओं के आधार पर स्थानों को विकसित किया जायेगा
2.6	उद्योग एवं कौशल विकास	मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में विश्व–स्तरीय फार्मा औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जायेगी	3 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. DIP&IP निर्धारित समयसीमा में भारत सरकार को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेगा अगला कदमः 1. फार्मा पार्क औद्योगिक क्षेत्र में सी.ई.टी.पी., ज़ेड.एल.डी. (CETP, ZLD) आवश्यक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, सप्लाई स्टीम, पूरे पार्क में कॉमन कूलिंग, वाटर सप्लाई और समर्पित R&D सेंटर शामिल होंगे

2.7	उद्योग एवं कौशल विकास	रिटेल वेयरहाउसिंग के हब के रूप में मध्यप्रदेश को स्थापित करने हेतु लॉजिस्टिक निवेश प्रमोशन पॉलिसी बनाई जायेगी	1 वर्ष	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. प्रचलित लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी के उन्नयन के लिये सुझाव आमंत्रित करने हेतु हितधारक परामर्श चल रहा है 2. अगले 30 दिनों में ड्राफ्ट दस्तावेज जमा किया जायेगा
2.8	उद्योग एवं कौशल विकास	खाद्य प्रसंस्करण को उद्यानिकी विभाग से MSME विभाग में स्थानांतरित किया जाना है	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	कैबिनेट नोट अक्टूबर–2020 तक तैयार करना
2.9	उद्योग एवं कौशल विकास	राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप श्रम–कानूनों को निवेशकों के लिये अनुकूल बनाया जायेगा	3 वर्ष	श्रम विभाग	1. सुधार हेतु श्रम कानूनों की बेंचमार्किंग की जायेगी
2.10	उद्योग एवं कौशल विकास	DTIC के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME की स्थापना के लिये औद्योगिक पार्कों में भूमि के आवंटन के लिये नये नियम बनाना और प्रक्रिया का सरलीकृत करना	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	कैबिनेट नोट अक्टूबर–2020 तक तैयार करना
2.11	उद्योग एवं कौशल विकास	प्रदेश में 200 सीट के Incubators की इंदौर तथा भोपाल में स्थापना करना Incubators के लिये MANIT भोपाल एवं आई.आई.एम. इंदौर जैसे संस्थानों का IIM सहयोग लेना	2 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	इन्वेस्ट इंडिया और डी.पी. आई.आई.टी. के समन्वय में संभावनाओं का अध्ययन किया जायेगा

2.12	उद्योग एवं कौशल विकास	15 जिला मुख्यालयों में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्लेसमेंट सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग	1. विकसित सुविधाओं की संभावना/पुष्टि 2. पीपीपी कार्यबल की तैनाती 3. सुविधाओं का उद्घाटन
2.13	उद्योग एवं कौशल विकास	आरजीपीव्ही के माध्यम से रोज़गार मापदण्डों पर सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग की जायेगी ताकि कोर्सों में व्यावहारिक ज्ञान एवं गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जावे	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग	1. इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का निर्धारण 2. रैंकिंग ढांचे के निर्माण के लिए मापदंडों और उपकरणों का विकास और अंतिम रूप देना 3. व्यक्तिगत संस्थानों की रैंकिंग के लिये आयुक्त कार्यालय से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पत्र जारी किया जाना
3.1	प्राकृतिक संसाधन	महाकौशल और मालवा–निमाड़ क्षेत्रों में लकड़ी/बांस के पूर्ण प्रसंस्करण एवं मूल्यसंवर्धन हेतु दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास	2 वर्ष	वन विभाग	महाकौशल और मालवा–निमाड़ क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु एक अवधारणा नोट तैयार करना
3.2	प्राकृतिक संसाधन	प्रदेश की वनोपज का 'मध्यप्रदेश उत्पाद' के तौर पर जीआई टैगिंग करवाना एवं इसके व्यापक बाजार विस्तार के लिए योजना बनाना	2 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं

3.3	प्राकृतिक संसाधन	बाघों का घनत्व बढ़ाने और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रीय उद्यानों जैसे सतपुड़ा संजय राष्ट्रीय उद्यान नौरादेही और गांधी सागर में बाघों का स्थानांतरण	1 वर्ष	वन विभाग	लागू नहीं
4.1	व्यापार एवं वाणिज्य	उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के लिये प्रदर्शन माप प्रणाली स्थापित करना	1 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	उद्योग परामर्श निम्नलिखित चरणों के साथ किया जायेगा– 1. विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के मानदंड और मापदंडों (निर्यात सहित) की पहचान की जायेगी 2. इस पुरस्कार के लिये जूरी का गठन 3. उद्योग और उद्योग संघ से प्रतिनिधित्व
4.2	व्यापार एवं वाणिज्य	विधिक मीटरोलॉजी आवश्यकताओं के अनुसार समूहों में निर्मित उत्पादों के कैटलॉगिंग और मानकीकरण में सुविधा	3 वर्ष	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	खाद्य विभाग के साथ परामर्श शुरू किया जाएगा। मानक उत्पादों के लिये बी.आई.एस. जैसी एजेंसियों के साथ चर्चा शुरू की जायेगी। कार्यशालाओं और प्रासंगिक प्रशिक्षण की योजना बनाई जायेगी

4.3	व्यापार एवं वाणिज्य	स्थानीय विशेषज्ञ के पूल का विकास जो युवाओं के लिये एक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग	1. कार्यकारी आदेश और दिशानिर्देश 2. अपने संबंधित जिलों में उपलब्ध स्थानीय विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिये संस्थान स्तर की टीमों का गठन 3. उन उद्यमियों की पहचान जो संरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं 4. उपलब्ध संसाधन पूल का उपयोग करने की रणनीति जैसे क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, अटल टिंकरिंग लैब आदि
4.4	व्यापार एवं वाणिज्य	उत्पाद विकास में अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये व्यावसायिक संस्थानों के साथ भागीदारी	2 वर्ष	तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग	1. अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये व्यावसायिक संस्थानों/ उद्योगों की पहचान करना 2. सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी विभागों में 'उत्पाद विकास सेल' का गठन 3. आईटीआई स्तर पर नवाचारों का दस्तावेजीकरण 4. संस्थानों/उद्योगों के साथ साझेदारी के लिये मॉडल एमओयू/ समझौता

नोट्स :

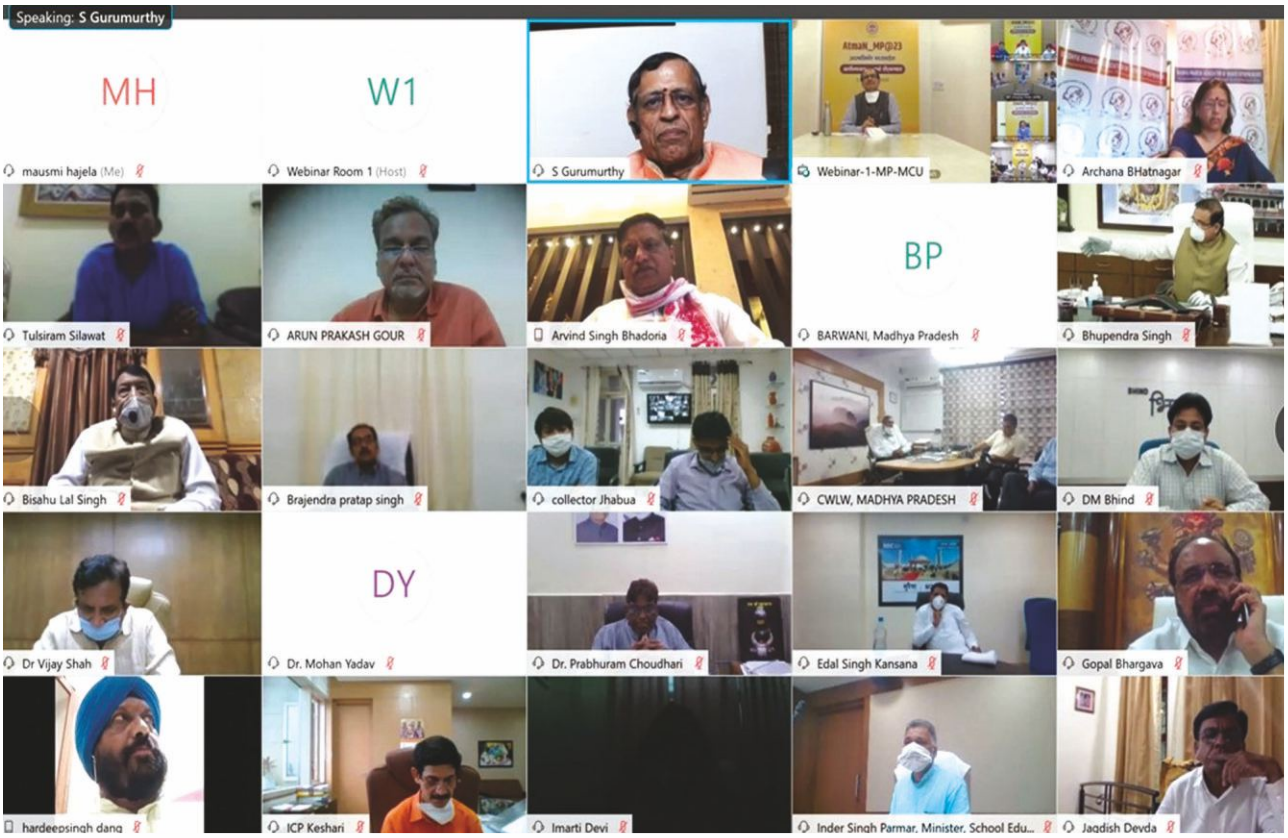
Speaking: S Gurumurthy
MH
W1
mausmi hajela (Me)
Webinar Room 1 (Host)
S Gurumurthy
Webinar-1-MP-MCU
Archana BHatnagar
Tulsiram Silawat
ARUN PRAKASH GOUR
Arvind Singh Bhadoria
BP
BARWANI, Madhya Pradesh
Bhupendra Singh
Bisahu Lal Singh
Brajendra pratap singh
collector Jhabua
CWLW, MADHYA PRADESH
DM Bhind
Dr Vijay Shah
DY
Dr. Mohan Yadav
Dr. Prabhuram Choudhari
Edal Singh Kansana
Gopal Bhargava
hardeepsingh dang
ICP Keshari
Imarti Devi
Inder Singh Parmar, Minister, School Edu...
Jagdish Devda